बुधवार,
२८ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

	पृष्ठ भाग
बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४	
सभा प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२८८३–२९२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२९२४–२९२८
बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२९२९–२९६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२९६६–२९७२
शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२९७३–३०१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३०१८–३०२४
सोमवार, ३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३०२५–३०६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३०६४–३०६८
मंगलवार, ४ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३०६९–३११५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३११५–३१२२
बुधवार, ५ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३१२३–३१७३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३१७३–३१८२
बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३१८३–३२१९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३२१९–३२२२
शुक्रवार, ७ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३२२३–३२६८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३२६८–३२८०
सोमवार, १० मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३२८१–३३२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३३२४–३३४०
मंगलवार, ११ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३४१–३३८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३३८६–३३९८

	पृष्ठ भाग
बुधवार, १२ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३९९–३४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३४४६–३४७०
बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७१–३५१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३५१७–३५४२
शुक्रवार, १४ मई, १९५४	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३५४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१	३५४३–३५९२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३	३५९२–३५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६	३५९७–३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२	३६०१–३६१०
बुधवार, १९ मई, १९५४	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३६११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४	३६११–३६१४
शुक्रवार, २१ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७	३६१५–३६२४

लोक सभा

बुधवार, २८ अप्रैल १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रक्षा मंत्रालय में अग्नि परामर्शदाता

*२०९०. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक रक्षा संगठनों की आगबुझाऊ टुकड़ी के कितने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है ?

(ख) क्या प्रशिक्षण चालू रखने का विचार है या हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

(ग) क्या इन व्यक्तियों को आगबुझाऊ टुकड़ी के लिये प्रशिक्षण देने में सहायता करने के अतिरिक्त "अग्नि परामर्शदाता" का और कोई विशेष कर्त्तव्य है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३७७ ।

(ख) अभी लगभग ३०० और व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है । यह भी आवश्यक है कि पहिले से ही प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिये उच्च श्रेणी के पाठ्यक्रम तथा पुनरावृत्ति पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाये ।

(ग) हां । उसे निम्न बातों पर भी परामर्श देना पड़ता है :

(१) तीनों सैन्य राज्यसेवाओं तथा युद्धास्त्र कारखानों के महासंचालक को अग्नि की निरोध तथा अग्नि बुझाने की व्यवस्था और सामग्री संबंधी समस्त मामलों पर परामर्श देना ;

(२) अग्नि के भयों संबंधी प्रश्नों पर परामर्श देने के लिये रक्षा कारखानों का निरीक्षण करना ; तथा

(३) इन कारखानों में आग लगने संबंधी खोजों या जांच-न्यायालय में जाना ।

सरदार हुक्म सिंह : अब तक कितनी क्लासें हुई हैं ?

सरदार मजीठिया : बारह ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह प्रशिक्षार्थी विभिन्न यूनिटों से लिये जाते हैं तथा प्रशिक्षण के पश्चात अपने अपने केन्द्रों को वापस भेज दिये जाते हैं या इस आगबुझाऊ संगठन के लिये एक पृथक यूनिट बनाया गया है ।

सरदार मजीठिया : यह प्रशिक्षार्थी युद्धास्त्र कारखानों तथा सेना से बुलाये

जाते हैं । प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वे अपने अपने यूनिटों को चले जाते हैं और वहां वे बहुत से आगबुझाऊ केन्द्र स्थापित करते हैं । ऐसे मामले में जहां उनका यूनिट-विशेष ऐसे स्थान पर न हो जहां उनकी आवश्यकता हो, वे अन्य केन्द्रों में रखे जाते हैं । क्योंकि आग-बुझाऊ कार्य केन्द्र के आधार पर और यूनिट के आधार पर भी चलाया जाता है । जहां उनसे सर्वश्रेष्ठ लाभ हो सकता है वहां वे अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या हमारी नौसेना तथा सैनिक विभागों के संरक्षण में भी आगबुझाऊ पहलू पर जोर दिया जाता है ।

सरदार मजीठिया : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है । यदि वह इस सम्बन्ध में जानना चाहते हैं कि नौसेना–यूनिटों तथा हमारी वायुसेना में भी आग-बुझाऊ मशीनें हैं या नहीं, तो मैं कहूंगा कि निश्चय ही हैं ।

पत्रकारिता

*२०९१. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कौन कौन विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में पत्रकारिता के शिक्षण तथा उसमें खोज करने की व्यवस्था है ; तथा

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों या शिक्षा संस्थाओं में से किसी को इस कार्य के लिए कोई विशेष अनुदान मिलता है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) पंजाब, नागपुर, मद्रास, कलकत्ता तथा मैसूर विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के शिक्षण की व्यवस्था है । भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था में पत्रकारिता में खोजें करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

(ख) नहीं ।

श्री एस० एन० दास : जिन विश्व-विद्यालयों में पत्रकारिता का प्रशिक्षण होता है, वहां यह शिक्षण प्रादेशिक भाषा में होता है या किसी अन्य भाषा में ?

डा० एम० एम० दास : ये पाठ्य-क्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों में है । अत: मेरा विचार है कि शिक्षा का माध्यम वही है जो उन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है ।

श्री एस० एन० दास : क्या उन विश्वविद्यालयों में से किसी ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है तथा यदि हां तो किस किस विश्वविद्यालयों ने, तथा क्या उन्हें कोई सहायता दी गई है या नहीं ;

डा० एम० एम० दास : इन विश्व-विद्यालयों में से किसी को भी विशेष रूप से इस कार्य के लिए कोई सहायता नहीं दी गई हैं ।

श्री हेडा : क्या सरकार या इन विश्व-विद्यालयों में से किसी का यह विचार है कि कुछ सुविधाएं दी जाय ताकि वर्तमान पत्रकार अपना व्यवसाय करते हुए इन क्लासों में शिक्षा प्राप्त कर सकें और उपाधियां प्राप्त कर सकें ।

डा० एम० एम० दास : अभी ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सारे विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता का पाठ्य-क्रम तथा शिक्षा-काल एक सा ही है या ये भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न हैं ।

डा० एम० एम० दास : ये भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न है । कुछ विश्वविद्यालयों में मैट्रिक-उत्तर पाठ्य-क्रम होता है । उनमें से कुछ स्नातक उत्तर पाठ्यक्रम होता है ।

बहु विवाह

*२०९२. **श्री दाभी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरकारी कर्म-चारियों को एक ऐसा परिचालन पत्र निकालने का है जिसमें उन्हें अपनी प्रथम पत्नी के जीवित होते हुए पुनः विवाह न करने का परामर्श होगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : उन सरकारी कर्मचारियों को रोकने का प्रश्न जिनकी कि पत्नी जीवित है .....

कुछ माननीय सदस्य : हमें सुनाई नहीं देता है ।

एक माननीय सदस्य : गोपनीय उत्तर ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । कृपया थोड़ा जोर से बोलिये ।

डा० काटजू : यह पहिली बार है जब मुझ पर इस कारण आक्षेप किया गया है जिन सरकारी कर्मचारियों की स्त्रियां जीवित हैं, पहिले सरकारी आज्ञा प्राप्त किए बिना, पुनः विवाह करने से रोकने के प्रश्न पर सक्रिय विचार हो रहा है । प्रस्ताव यह है कि उन व्यवहार सम्बन्धी नियमों में इस उद्देश्य का एक उपबन्ध बनाया जाय ।

श्री दाभी : क्या सरकार संसद में उसी विषय पर, अर्थात् बहु विवाह पर, विचाराधीन विधेयक का समर्थन करेगी ?

डा० काटजू : इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है । मैं नहीं जानता कि आगामी सत्र में विधेयक पुरः स्थापित हो सकेगा या नहीं ।

श्री दाभी : मेरा प्रश्न यह है कि यह इस सदन में पहिले ही पुरः स्थापित हो चुका है तथा यह विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संसद में विचाराधीन इस विधेयक का समर्थन करेगी या नहीं ?

डा० काटजू : वास्तव में, मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि एक उच्चतम अधिकारी ने, सरकार के एक संयुक्त सचिव ने उच्च अधिकारियों से अपनी प्रथम स्त्री के विरोध करने पर भी हाल में ही एक विवाह किया है ;

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमें इन बातों में नहीं जाना चाहिए । हमारा सम्बन्ध व्यक्तिगत मामलों से नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मेरे प्रश्न का यही अभिप्राय था ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी सरकारी अफ़सर ने इस किस्म की शादी की है, और सरकार ने उस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है या उसपर कोई ऐक्शन लिया है ;

डा० काटजू : यह बहुत ही नामुनासिब होगा कि यहां पर व्यक्तिगत बहस की जाये यह बिल्कुल ही पर्सनल बातें हैं ।

श्री पुन्नूस : मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है । हम अग्रेतर प्रश्न लेंगे ।

अण्डमान द्वीप समूह के लिये मंत्रणा-परिषद्

*२०९३ **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अण्डमान द्वीप समूह की वर्तमान मंत्रणा परिषद् के सदस्यों के नाम;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिये कोई अभ्यावेदन किया गया था कि परिषद् के सभी सदस्यों का नाम निर्देशन करने के बजाय कम से कम कुछ सदस्यों का वहां के लोगों द्वारा निर्वाचन होना चाहिये; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रियायें हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) अण्डमान द्वीप समूह की वर्तमान मंत्रणा परिषद् के सदस्य निम्न महानुभाव है :—

(१) श्री बालकृष्ण गुप्त

(२) श्री रामकृष्ण

(३) श्री उमा प्रसाद

(४) श्री लछमण सिंह

(५) श्री गुलाम मुहम्मद

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने यह तय किया है कि अण्डमान के मुख्य आयुक्त की मंत्रणा परिषद् के सदस्यों के नाम निर्वाचन की वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (क) के निर्देश में क्या यह सत्य नहीं है कि भविष्य में परीसीमन आयोग उसे लोक सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात किस प्रकार उत्पन्न होती है ? मुझे यह स्पष्ट नहीं जान पड़ता कि ऐसी बात यहां किस प्रकार उत्पन्न होती है ?

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा यही विचार है । मैंने गैरसरकारी प्रतिनिधित्व के विषय में पूछा था । केवल एक गैर-सरकारी व्यक्ति का नाम-निर्देशन इस सदन की सदस्यता के लिए किया गया है । यदि वह भी चले जाते हैं तो क्या सरकार इस सदन में उनके प्रतिनिधित्व के विषय में विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अण्डमान द्वीप समूह की मंत्रणा परिषद् का निर्देश कर रहे ह ?

श्री एस० सी० सामन्त : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या जानना चाहते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा विचार यह है कि मंत्रणा परिषद् में कुछ व्यक्ति चुने हुये होने चाहिये । इस समय केवल लोक सभा में अण्डमान तथा नीकोबार द्वीप समूहों का प्रतिनिधित्व है । यदि वह समाप्त हो जाता है, तो क्या सरकार कम से कम वहां प्रतिनिधित्व के विषय में विचार करेगी ?

डा० काटजू : यह प्रश्न परिसीमन आयोग के प्रतिवदन के विचार पर ही पूर्णतया निर्भर करेगा । मैं विनम्रतापूर्वक निवदन करता हूं कि यह संवैधानिक विषय

है कि वह व्यक्ति नाम निर्देशित होना चाहिये अथवा निर्वाचित । माननीय सदस्य जानतें होंगे कि जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, अण्डमान द्वीपसमूह का क्षेत्र बिखरा हुआ है ।

श्री साधन गुप्त : लोगों के इस अभ्यावेदन पर कि परामर्शदाता निर्वाचित होने चाहियें, सरकार के विचार न किये जाने के क्या कारण ?

डा० काटजू : इसका कारण यह है कि इस समय अधिकांश जनता ब्लेयर बन्दरगाह में है, और जनसंख्या अनुमानतः २०,००० है । मुख्य आयुक्त भी उन्हीं में रहता है । ब्लेयर बन्दरगाह में यह मंत्रणा परिषद् हमनें अभी से आरम्भ की है । इसे बन दो तीन वर्ष हुये हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत में इन नगर-पालिका के चुनावों में कितनी अधिक गुटबंदी होती है, और इसीलिये हमने सोचा था कि मुख्य आयुक्त वहां है ही, कम से कम आरम्भ में मंत्रणा परिषद् रखी जा सकती है । उनके कोई भी कार्यकारिणी कार्य नहीं हैं । वरन् पूर्ण रूपेण परामर्शदात्री हैं । हमें देखना है कि यह प्रयोग कहां तक सफल होता है ।

पुंछ के विस्थापित व्यक्ति

*२०९४. **श्री० डी० सी० शर्मा**: (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पुंछ के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये कुछ ऋण स्वीकृत किया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वह राशि तनी है ?

(ग) इस राशि को किस प्रकार व्यय किया जायगा ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) जम्मू तथा काशमीर सरकार को साढ़े चार लाख रुपया ऋण दिया जायेगा ।

(ग) जम्मू तथा काशमीर सरकार इस राशि का उपयोग उन लगभग ९०० विस्थापित परिवारों को, जो पुंछ के पाकिस्तान अधिकृत भाग से आये हैं, नियत भूमियों पर पहुंचने के पश्चात, पुनः बसाने के लिये ऋण देने में करेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या विस्थापित परिवारों की संख्या केवल ९०० ही है या और अधिक ?

डा० काटजू : हम को कुछ और अन्य आवेदन पत्र ५०,००० रु० की और राशि के लिये प्राप्त हुये हैं, किन्तु कितने परिवार आये हैं, इसकी सूचना देने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या उनको भूमि पर बसाने की ही सरकार की नीति है अथवा कुछ व्यापार आरम्भ कराने का भी सरकार विचार रखती है?

डा० काटजू : इस समय तो सहायक पुनर्वास बोर्ड उनको भूमि दिलाने पर ही ध्यान दे रहा है किन्तु दूसरे प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिये कुछ धन राशि ऋण रूप में देने के लिये अलग से निश्चित करने जा रही है ?

डा० काटजू : इस सुझाव पर मेरे माननीय मि पुनर्वास मंत्री ध्यानपूर्वक विचार करें

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : गृह-मंत्री द्वारा उल्लिखित ४,५०,००० रु० की यह राशि केवल पुछं से आय हुये लोगों के लिये ही है अथवा मीरपुर तथा मुज़फ्फ़राबाद के लोगों के लिये भी ।

डा० काटजू : जहां तक मैं समझता हूं यह राशि केवल पुछं वालों के लिये ही है । "पुछं" का क्या अर्थ है, क्या इसमें यह क्षेत्र .....

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : यह नहीं आता है ।

डा० काटजु : यदि यह नहीं आता है, तो दूसरी बात है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या यह सच नहीं है कि मुज़फ्फ़राबाद तथा मीरपुर के क्षेत्र भी शत्रु के अधीन हैं, इसलिये क्या इनके साथ भी वैसा ही बर्ताव नहीं किया जाना चाहिये ?

डा० काटजू : मैं इस पर विचार करुंगा ।

छावनी बोर्डों का सम्मेलन

*२०९७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में भारत के विभिन्न छावनी बोर्डों के प्रतिनिधियों को परामर्श के लिये बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से मुख्य विषयों पर बातचीत हुई और क्या कोई निर्णय किये गये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) विवाद के मुख्य विषय ये थे :

(१) छावनी अधिनियम, १९२४ की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत, असैनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिसूचित, अधिनियम की धारा ४३ क के अन्तर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन असैनिक क्षेत्र समितियों को करने का प्रश्न ।

(२) विभिन्न छावनियों में से कुछ क्षेत्रों को विलग करने के सम्बन्ध में की गई उन्नति जैसा कि छावनियों की केन्द्रीय समिति द्वारा सिफारिश की गई है ।

(३) असैनिक क्षेत्रों की भूमि सम्बन्धी समस्यायें । उपर्युक्त विषयों पर स्वतन्त्र तथा स्पष्ट रुप से विचारों का आदान प्रदान हुआ किन्तु कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सका क्योंकि सम्मेलन छावनियों के विभिन्न स्थानों के असैनिक निवासियों का केवल प्रथम मत जानने के उदेश्य से ही बुलाया गया था ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कानफ्रेंस ने जो सिफारिशें की है और इसमें जो विचार प्रकट किये गये हैं उन पर गवर्नमेंट कब तक अपना निर्णय देगी ?

सरदार मजीठिया : विवाद बड़े लम्बे चौड़े विषयों पर हुआ था । इसमें वित्तीय पहलू भी अन्तर्ग्रस्त है, और इसीलिये यह बड़ा उलझा हुआ विषय है और सभी समस्याओं को खोज निकालने से पूर्व इसमें काफी समय लगेगा । इसके अतिरिक्त, हमने विभिन्न प्रतिनिधियों से उनके पूर्ण सुझावों को देने के लिये कह दिया था कि वह वास्तव में चाहते क्या हैं, ऐसा इस कारण किया गया था कि इस सम्मेलन में वे स्पष्ट रुप से अपने उन सुझावों को नहीं रख सके थे । ज्यों ही ये सुझाव हमें मिल जायेंगे, हम निश्चय ही उन पर विचार करेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि अनेक कैंटोन्मेंट बोर्डों के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल माननीय मंत्री जी का

मिला और उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि कैंटोंनमेंट बोर्डों का पूरा प्रजातंत्रीकरण कर दिया जाय, फुल डिमोक्रेटाइजेशन कर दिया जाय ? इस बारे में गवर्नमेंट ने क्या निर्णय किया है ?

सरदार मजीठिया : यह चर्चा के प्रश्नों में से एक था, किन्तु दुर्भाग्यवश सिफारिशों में उन सबकी एक ही सम्मति नहीं थी, इसलिये हम अब भी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार ने उन प्रतिनिधियों के सुझाव उस सभा में आने से पूर्व ही मांगे थे, या सरकार ने उनसे अपने-अपने सुझाव उस सभा में ही प्रस्तुत करने के लिये कह दिया था ?

सरदार मजीठिया : नहीं श्रीमान । किन विषयों पर विवाद होगा, यह बता दिया गया था । उस समय कोई भी ठोस सुझाव नहीं मांगे गये थे । स्पष्टत: पूर्वाधारण यही थी कि वे कोई ठोस सुझाव देंगे ।

आलेख संरक्षण कार्य में प्रशिक्षण

*२०९८. **श्री गणपति राम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक कितने उम्मीदवारों को आलेख संरक्षण कार्य में प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) कितने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सेवाओं में ले लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) भारत के राष्ट्रीय आलेख प्रशिक्षण कार्यालय में दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम के लिये ३३ और अल्प-कालीन पाठ्यक्रम के लिए १०४ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ६ उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया है ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ट्रेनिंग पर कितना रुपया व्यय किया गया और प्रत्येक राज्य में कितने ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग दी गयी ?

डा० एम० एम० दास : शिक्षा विभाग भारत के आलेख विभाग द्वारा चलाया जाता है । अत: यह व्यय उस विभाग के व्यय के अन्तर्गत आता है ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि इन उम्मीदवारों में शिड्यूल्ड कास्ट के कितने केन्डीडेट थे और उन के लिए मिनिमम क्वालीफिकेशन क्या रखी गयी थी ?

डा० एम० एम० दास : अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए कोई पृथक योग्यता निर्धारित नहीं की जाती । कोर्स दो हैं । एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स है जिस में सब उम्मीदवार भर्ती हो सकते हैं विशेष रूप से आधुनिक भारतीय इतिहास के एम० ए० या इतिहास आनर्ज के स्नातक जिन्हों ने अपने एक विशेष विषय के रूप में आधुनिक भारतीय इतिहास को लिया हुआ हो । राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं आदि द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री साधन गुप्त : नियुक्त किये गये ६ उम्मीदवारों में से कितनों को दीर्घ-कालीन प्रशिक्षण दिया गया था और कितनों को अल्पकालीन ?

डा० एम० एम० दास : ३३ उम्मीदवारों में से जिन्हों ने दीर्घकालीन कोर्स पास कर लिया है ६ उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया गया है—५ को भारत के राष्ट्रीय आलेख विभाग के अधीन और एक को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन। शेष उम्मीदवारों के सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं हैं। जहां तक अल्पकालीन कोर्स का सम्बन्ध है, इस में केवल राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के कर्मचारियों को भाग लेने दिया जाता है।

आय-कर (बनारस)

*२०९९. **श्री रूप नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष बनारस जिले से कितना आय-कर प्राप्त हुआ; और

(ख) इसी काल में इस जिले के तम्बाकू व्यापारियों से प्रति वर्ष औसत से कितना आय कर प्राप्त हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) पिछले पांच वर्षों म प्रति वर्ष बनारस जिले से निम्न आय-कर प्राप्त हुआ :

	रुपये
१९४९-५०	१८,८४,८२०
१९५०-५१	२३,६८,०५३
१९५१-५२	४५,१२,२७५
१९५२-५३	३०,४८,८८०
१९५३-५४	१७,१०,५००

(ख) इसी काल में इस जिले के तम्बाकू व्यापारियों से प्रति वर्ष औसत से ११६ ११५ रुपये आय-कर प्राप्त हुआ।

श्री रूप नारायण: क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितना इनकम टैक्स वसूल नहीं हुआ है और कितने सालों से ?

श्री एम० सी० शाह : मैं यह आंकड़े नहीं दे सकता, क्योंकि...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते है।

श्री रूप नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि बनारस का इनकम टैक्स देने में कौन सा नम्बर है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास सारे राज्य के लिए जिलावार आंकड़े नहीं हैं। यदि वे चाहतें हैं, तो वे एक पृथक् प्रश्न की सूचना दें।

डा० रामा राव : इस म से कितना आय-कर आय-कर जांच आयोग के प्रश्नों के फलस्वरूप वसूल हुआ है ?

श्री एम० सी० शाह : आय-कर जांच आयोग के सम्बन्ध में एक और विशिष्ट प्रश्न है। संभवतः माननीय सदस्य उस की ओर निर्देश कर रहे हैं। मैं वे आंकड़े दे सकता हूं। निर्धारित आय-कर की राशि २५·८० करोड़ रुपये है और ९·६२ करोड़ रुपये वसूल हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बनारस जिले के सम्बन्ध में है ?

श्री एम० सी० शाह : वह आय-कर जांच आयोग की ओर निर्देश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि इस में से कितना कर बनारस जिले के आय-कर जांच

आयोग के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास वह आंकड़े अब नहीं हैं ।

श्री आल्तेकर : १९५३–५४ में इतनी कम राशि वसूल होने के क्या कारण हैं ?

श्री एम० सी० शाह : १९५१-५२ में सब बकाया साफ करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, इस लिए हमें अधिक राशि मिली। १९५३-५४ में कम राशि संभवत: कम लाभों के कारण प्राप्त हुई थी ।

श्री गणपति राम : करदाताओं की कुल संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति अगला प्रश्न ।

हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी इलाहाबाद

*२१०१. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी इलाहाबाद के तत्वावधान में प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका को सहायता देती रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) आरम्भ से आज तक प्रतिवर्ष कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका को कोई सहायता नहीं दी गई ।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एम० एम० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सोसायटी को सरकार ने कौन कौन सी ग्रान्ट्स दी हैं और किस किस काम के लिये दी हैं ?

डा० एम० एम० दास: १९४६–१९५१ में हम ने इस सभा को उसके प्रकाशन कार्यक्रम के लिए १,१२,००० रुपये दिये हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या अनुदान मांगते समय इस संस्था ने यह बतलाया है कि यह अनुदान किस उद्देश्य के लिए चाहिए ?

डा० एम० एम० दास : किसी संगठन को अनुदानों की मंजूरी देने से पहले, उस के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाती है और जब तक वह प्राप्त न हो जाये, कोई अनुदान मंजूर नहीं किया जाता ।

आय-कार जांच आयोग

*२१०२. **डा० रामा राव :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि १९५३ के अन्त तक आय-कर जांच आयोग के कार्य के सम्बन्ध में "बड़े पैमाने पर झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए" कितने व्यक्तियों या फर्मों पर अभियोग चलाया गया है ?

(ख) कितनों को दंड दिया गया है ?

(ग) ३१ मार्च, १९५४ तक जितनी छिपी हुई आय का पता लगाया गया है, उस पर कितना कर निर्धारित और इकट्ठा किया गया है ?

(घ) उन मामलों पर जिन की ३१ मार्च, १९५४ तक, धारा ५(४) के अन्तर्गत आयोग ने अपनी ओर से जांच की

थी, कितना कर निर्धारित और इकट्ठा किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) कोई नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मार्च १९५४ तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । फरवरी १९५४ के अन्त तक के आंकड़े क्रमश: २५·८० करोड़ और ९·६२ करोड़ रुपये हैं ।

(घ) यह आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है । यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

डा० रामा राव : सरकार कर से बचने वालों को आसान किस्तों में चकाने की आज्ञा दे कर उन के प्रति विशेष नर्मी क्यों दिखला रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । माननीय सदस्य ने प्रश्न उचित रूप से नहीं पूछा । वह इसे उचित रूप दे कर फिर पूछ सकते हैं ।

डा० रामा राव : क्या यह सत्य है कि सरकार ने इन लोगों को आसान किस्तों म चुकाने की आज्ञा दी है ?

श्री एम० सी० शाह : आय-कर जांच आयोग स्वयं अन्य विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए किस्तों में अदायगी की सिफारिश करता है । उन्हों ने केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से यह भी सिफारिश की है कि ऐसी बातों को भी ध्यान में रखा जाये कि क्या करदाता अब कर दे सकता है, मांग के लिए किस प्रकार की प्रतिभूति दी गई है, कमाने का वर्तमान सामर्थ्य कितना है, घरेलू खर्च, करों आदि के लिए कम से कम उत्तरदायित्व क्या है । इन बातों को ध्यान में रख कर किस्तों की आज्ञा दी जाती है । साधारणतया किस्त केवल ६ वर्षों के लिए होती, हैं किन्तु कुछ मामलों में ९ वर्षों तक के लिए भी होती हैं ।

डा० रामा राव : सरकार ने आरम्भ में बहुत से मामले इस आयोग को निर्दिष्ट किये थे । क्या उस के बाद कोई नये मामले उसे निर्दिष्ट किये गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : अधिनियम के अन्तर्गत एक विशिष्ट तिथि के बाद जोकि सम्भवत: १९४८ की कोई तिथि है, हम कोई मामले उन्हें निर्दिष्ट नहीं कर सकते । किन्तु स्वयम् अधिनियम में एक धारा है जिस में यह उपबन्ध किया गया है कि जांच के दौरान में यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई अन्य सहायक मामला है, जिसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिये, तो वह निर्दिष्ट किया जा सकता है ।

श्री बोगावत : क्या यह सत्य है कि आय-कर जांच आयोग असफल रहा है क्यों कि उसे कर दाता के लेखों को जप्त करने का अधिकार नहीं है और इस त्रुटी के कारण बहुत से लोग कर से बच गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में जहां तक अधिकारों का सम्बन्ध है, यह विधि के निर्वचन का प्रश्न है ।

श्री पुन्नूस : उन व्यक्तियों तथा फार्मों की संख्या क्या है जिन्हों ने झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है और अब भी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं ? उन पर अभियोग क्यों नहीं चलाया गया ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में माननीय मंत्री प्रश्न के भाग (क), का नकारात्मक उत्तर दे चुके हैं ।

श्री पुन्नूस : उन्हों ने केवल यह कहा है कि कोई अभियोग नही चलाये गये ।

श्री एम० सी० शाह : अतः भाग (क) उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : मै समझता हूं कि प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में उन्होंने 'कोई नहीं' कहा है ।

श्री एम० सी० शाह : प्रश्न के भाग (क) का मैं ने यही उत्तर दिया है ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने केवल यह कहा है कि कोई अभियोग नहीं चलाया गया। उन्होंने यह नहीं कहा कि झूठी साक्ष्य देन का कोई उदाहरण नहीं है ।

श्री एम० सी० शाह : झूठी साक्ष्य के उदाहरण थे और आय कर जांच आयोग की सिफारिश के अनुसार उन के सम्बन्ध में अत्यधिक कड़े डन्ड दिय गये थे ।

विस्थापित सरकारी अधिकारी

*२१०४. **श्री गिडवानी** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगें कि उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें १९५३-५४ में ३१ मार्च १९५४ तक वार्धक्य प्राप्त घोषित किया गया है ?

(ख) कितने मामलों में इस प्रकार के अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ा दी गई है या उन्हे फिर से सेवा युक्त कर लिया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो वार्धक्य प्राप्त हो गये थे, सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) ७७ ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को यह मालूम है कि निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय ने दो विस्थापित सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को उन का निवृत्ति वेतन स्वीकृत हुए बिना ही सेवा निवृत्त कर दिया—और यह अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है—इस के साथ ही साथ, उसी मंत्रालय ने उसी पद स्थिति के कुछ गैर विस्थापित अधिकारियों की, जिन्हें सेवा निवृत्त होनें के तुरन्त बाद ही निवृत्ति वेतन मिल सकता था, सेवा अवधि में बहुत वृद्धि कर दी है ?

डा० काटजू : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि इस मामले में निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय सरकार के आदेशों का पालन करता है या नहीं ?

डा० काटजू : मैं अबश्य इसकी जांच पड़ताल करूंगा ।

रेडियो-सक्रिय धूल

*२१०७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या प्राकृतक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ समाचार पत्रों में, विशेष कर १३ अप्रैल के स्टेट्समैन में प्रकाशित ये समाचार सच हैं कि हाल ही में प्रशान्त महासागर में उद्जन बम के विस्फोट किये जाने के बाद कलकत्ता की एक बस्ती के या उस के आस पास के मकानों की छतों पर रेडियो-साक्रिय धूल पाई गई है;

(ख) यदि ऐसा है, तो इस विषय में विस्तृत तथ्य क्या हैं; तथा

(ग) इस धूल से क्या हानि हुई है या होने की सम्भावना है ?

प्राकृतक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं। (ख) तथा (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्रीमान्, मैं आप की अनुमति से यह बता दूं कि १३ अप्रैल १९५४ को स्टेट्समैन में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि अणु भौतिकी संस्था ने कलकत्ता में रेडियो-सक्रिय धूल एकत्रित की थी वास्तव में यह रेडियो-सक्रिय धूल मकानों की छतों से एकत्रित नहीं की गई थी बल्कि सिंगापुर से कलकत्ता या सैगांव से कलकत्ता आने वाले वायुयानों पर से एकत्रित की गई थी। ये रेडियो सक्रिय रश्मियां किसी प्रकार का हानि कारक प्रभाव नहीं डाल सकतीं और सामान्य रूप से ब्रह्माण्ड रश्मियों से, जो साधारतया सूर्य से हमारे शरीरों पर पड़ती हैं, इन की उग्रता दो से लेकर पांच गुना से अधिक नहीं होती। अतः इस बारे में चिन्ता करने की कोई बात नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या उनकी परीक्षा की गई है ?

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या इस विस्फोट के हानिकारक प्रभाव खत्म हो गये हैं या अब भी किसी खतरे की आशंका है ?

श्री के० डी० मालवीय : इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अणु भौतिकी संस्था द्वारा दी गई सूचना यही है जिसे मैं ने अभी पढ़ा है। वह संस्था यह समझती है कि यह खरश्मि रेडियो, सक्रिय कण मिश्रित धूल, जो कि वायुयानों के पांखों में से एकत्रित की गई थी, उद्जन परीक्षण में से निकली थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हमारे वैज्ञानिकों को यह मालूम है कि कितनी रेडियो सक्रियता हानिकारक होगी और कितनी दूरी के अन्दर इस प्रकार के परीक्षण करने से हमारे देश को हानि होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस विषय का कुछ साहित्य है कि जिस में वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि कितनी सीमा के अन्दर रेडियो सक्रिय रश्मियां हानिकारक हो सकती हैं। उन पुस्तकों को बिना देखे मैं इस प्रश्न का निश्चयात्मक रूप से उत्तर नहीं दे सकता।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : भविष्य में इस प्रकार के विस्फोट के कारण इस देश में जीवन तथा सम्पत्ति को होने वाले सम्भावित खतरे के विरुद्ध क्या बचाव किये गये हैं ;

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में किसी प्रकार का खतरा पैदा नहीं होगा।

मुख्य सचिवों का सम्मेलन

*२१०८. **श्री रघुरामय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हाल ही में हुआ था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय हुए थे ;

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां। सभी भाग 'क'

तथा 'ख' राज्यों (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर) तथा विंध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों का सम्मेलन १२ से १६ अप्रैल १९५४ तक हुआ था।

(ख) यह सम्मेलन अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा दशाओं को निश्चित करने वाले प्रारूप नियमों तथा विनियमों पर राज्य सरकारों के निश्चयात्मक विचारों को जानने के लिये किया गया था। उस सम्मेलन में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को अन्तिम रूप से तय कर दिया जायगा और ये प्रख्यापित किये जायेंगे। इसलिये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ के अनुसार उसके बाद ये संसद के समक्ष रखे जायेंगे।

श्री रघुरामय्या : क्या जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनमें से एक विषय अखिल भारतीय सेवाओं की सभी श्रेणियों के वेतन तथा भत्तों में समानता रखने के लिये एक सामान्य संहिता के बारे में था ?

डा० काटजू : जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनमें से एक यह भी था। मैं यह बता दूं कि सब प्रकार के जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनकी संख्या २७ थी।

श्री सी० के० नायर : भाग 'ग' राज्यों के सचिवों को क्यों नहीं बुलाया गया था ?

डा० काटजू : भाग 'ग' राज्यों की अपनी कोई पदालियां नहीं हैं। वे अन्य राज्यों के अधिकारियों पर निर्भर करते हैं।

अल्प कालीन नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी

*२१०९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मेडिकल सेवाओं के महानिदेशालय के किन्हीं अल्प कालीन नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों ने १९५३-५४ में अपने अल्प कालीन कमीशन की अवधि पूरी कर ली है और उन्हें सेवा विमुक्त कर दिया गया था; तथा

(ख) क्या किसी राज्य ने इस प्रकार के अधिकारियों के असैनिक मेडिकल सेवाओं में भरती किये जाने के मामले में उन्हें आयु सम्बन्धी रियायतें देने से मना कर दिया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां। आर्मी मेडिकल कोर के ५५ अल्प कालीन नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सेवा विमुक्त कर दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : इन अधिकारियों में से किसी ने सेना में कितनी सबसे बड़ी अवधि तक काम किया ?

सरदार मजीठिया : सामान्य रूप से अल्प कालीन कमीशन तीन वर्ष के लिये होता है जिसे सात वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या रक्षा मंत्रालय ने इन अधिकारियों को आयु के सम्बन्ध में रियायतें दिये जाने के लिये राज्य सरकारों को लिखने के अतिरिक्त कुछ विभागों में नौकरी दिलाने के लिये इनकी किसी अन्य प्रकार से सहायता की थी ?

सरदार मजीठिया : यह बात उत्पन्न नहीं होती क्योंकि इनके मार्ग म केवल आयु सम्बन्धी कठिनाई है और सभी राज्यों ने इस आयु-सीमा को कम करने की बात मान ली है। कुछ मामलों में इनकी आयु सीमा अधिक नहीं थी। इस

लिये, उन्होंने भी प्रयत्न किया और यदि उन्हें उपयुक्त समझा गया होगा तो उन्हें ले लिया गया होगा।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सरकार के पास इस बात की कोई सूचना है कि सेना से विमुक्त किये गये अधिकारियों में से कितने प्रतिशत अधिकारियों को असैनिक विभागों में नौकरी मिल सकी है ?

सरदार मजीठिया: जी नहीं। हमारे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

*२११०. **श्री एस० एन० दास:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में की गई प्रगति का सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसने कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो कौन सी महत्वपूर्ण बातें उस रिपोर्ट से उत्पन्न हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एस ९३५/५४]**

श्री एस० एन० दास: इस समिति द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देगी ?

डा० एम० एम० दास: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है। विश्वविद्यालय आयोग ने सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रोफ़ेसरों के लिये ८००–१२५० रुपये की तथा विश्वविद्यालय लैक्चरारों के लिये २५०–५०० रुपये की आधारभूत वेतन श्रेणियां रखने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिये जाने के कारण १० लाख रुपये का प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय हुआ करेगा, जिसमें मैसूर, त्रावनकोर, विश्वभारती तथा एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई सम्मिलित नहीं है। इस मामले पर वित्त मंत्रालय से परामर्श तथा विचार विमर्श किया जा रहा है।

श्री एस० एन० दास: क्या केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है, और यदि ऐसा है, तो इस उपसमिति द्वारा जिन बातों पर सुझाव दिया गया है उन में से कितनों पर विचार किया गया है और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पर गौर किया है। लेकिन चूंकि अब जहां तक यूनिवर्सिटियो का ताल्लुक है गवर्नमेंट आंफ़ इण्डिया के काम का अब ढंग यह हो गया है कि वह उन के मामलों को यनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सुपुर्द कर देती है। चुनाचे कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है। वह इस पर गौर कर रहा है और ज़रूरी कार्यवाही की तरफ कदम बढ़ा रहा है।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स

कमीशन ने इन में से किसी बात पर अपना कोई निश्चय किया है ?

मौलाना आजाद : हां किया है, लेकिन अभी कुछ तफसील की बातें बाकी है ।

श्री एस० एन० दास : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन बातों के मामले में जिनका सम्बन्ध सेकेंडरी एज्युकेशन कमीशन से है, इस कमेटी ने क्या किया है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का प्रश्न है, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी । अब उन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिए, जिन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है, मंत्रालय ने एक विस्तृत योजना तैयार की है । इस बात का अनुमान भी लगाया गया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस पर क्या कुछ खर्च करना होगा । यह ज्ञापन इस समय योजना आयोग के समक्ष है और वे इस पर आज चर्चा करने वाले हैं । जैसे ही धन की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी वास्तविक कार्यान्विति का काम हाथ में ले लिया जायेगा ।

श्री दाभी : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की इन सिफारिश की कार्यान्विति के लिए कि सभी शिक्षा संस्थाओं में कार्यक्रम आरम्भ होने से पुर्व कुछ मिनटों के लिए मौन रखा जाए ।

डा० एम० एम० दास: वह रिपोर्ट पटल पर रखी है । माननीय सदस्य उसे पढ़ सकते हैं ।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

*२११२ **श्री रूप नारायण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बनारस जिले से पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष तम्बाकू पर कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त हुआ ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : एक विवरण जिस में बनारस जिले में तम्बाकु पर प्राप्त उत्पादन शुल्क की राशि के बारे में जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८]

१९४९-५० के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

श्री रूप नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि तम्बाकू के उत्पादन पर किसानों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए कोई छूट दी जाती है या नहीं, यदि दी जाती है तो बनारस में ऐसा है या नहीं, और है तो कितनी ?

श्री ए० सी० गुहा : कुछ मात्रा घर की खपत के लिए शुल्क से विमुक्त रहती है । देश भर में यही प्रथा है, अत: बनारस जिले में भी यही होता है ।

श्री रूप नारायण : क्या मैं यह जान सकता हूं कि शुल्क के वसूल करने में कौनसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है । यह भूमि के क्षेत्रफल पर किया जाता है या उत्पादन पर ?

श्री ए० सी० गुहा : यह विमुक्ति स्थानीय लोगों के स्वभाव के आधार पर दी जाती है.....

अध्यक्ष महोदय : वे कर के संग्रह की विधि के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : यह तो तम्बाकू के वास्तविक उत्पादन पर आधारित है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो काश्तकार तम्बाकू पैदा करते हैं वह निजी इस्तेमाल के लिये कितनी रख लेते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : यह मात्रा भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है । मेरे पास बनारस ज़िले का आंकडा नहीं है । यह भिन्न क्षेत्रों में लोगों के स्वभाव के अनुसार १९ पाउंड से लेकर ३० पाउंड तक होती है।

विस्थापित सरकारी अधिकारी

*२११४. **श्री गिडवानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे विस्थापित सरकारी अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें १९४८ से लेकर अब तक सेवानिवृत किया जा चुका है किन्तु जिन्हें अभी तक अस्थायी पेन्शन की प्राप्ति नहीं हुई है; तथा

(ख) इसके कारण ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) . यह जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

मैं यह भी कह दूं कि यह प्रश्न उस प्रश्न से जिसका उत्तर मैं दे चुका हूं बहुत निकट का सम्बन्ध रखता है ।

श्री गिडवानी : क्या कारण है जिस से इन्हें अस्थायी पेन्शन के दिए जाने में देर हो रही है जबकि उक्त पेन्शन के बारे में ३१ जनवरी, १९५३ को निश्चय हो चुका था ?

डा० काटजू : देर का कारण यह है कि पेन्शनों के इस प्रश्न के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही ह । हम यथा सम्भव विस्थापित कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम इसे शीघ्र ही निपटा रहे हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इसे शीघ्र निपटाने का यत्न करेगी ?

डा० काटजू : मैं अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न करूंगा ।

तम्बाकू शुल्क (पंजाब)

*२११५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में पंजाब से तम्बाकू के उत्पाद-शुल्क से कुल कितनी आय हुई है; और

(ख) उक्त क्षेत्र में उत्पाद शुल्क के संग्रह हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पर कितना व्यय हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). : पंजाब राज्य से १९५२–५३ में तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के रूप से संग्रहीत रकम ३४·०६ लाख रुपये थी, तथा तत्सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था पर ६·५३ लाख रुपया खर्च हुए ।

श्री डी० सी० शर्मा: जब यह कहा जाता है कि कुछ वस्तुओं पर राजस्व की तुलना में प्रशासनिक व्यय १० प्रतिशत है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रस्तुत विषय में व्यय का अनुपात २० प्रतिशत क्यों है ?

श्री ए० सी० गुहा: पंजाब क्षेत्र में तम्बाकू का कम उत्पादन होता है । यह गुंटर अथवा आनंद की भांति भारी परिमाण में तम्बाकू की उपज का क्षेत्र नहीं है, अतः अन्य क्षेत्रों की भांति इसमें खर्चा कुछ अधिक है ।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या यह सच नहीं है कि इस समस्या से सम्बद्ध पदाधिकारियों की संख्या इतनी वृहद् है कि इस साधन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि कर भरपूर प्रयत्न किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : स्पष्ट है कि सग्रंहीत राजस्व की तुलना में पदाधिकारियों की संख्या अधिक होनी चाहिये । इसका कारण यह है कि क्षेत्र दूर-दूर तक फैले हुए हैं तथा वे एक स्थान पर संचित नहीं हैं। प्रान्त भर में अनेक भू-भागों में तम्बाकू का उत्पादन होता है और इसलिये हमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी रखने पड़ते हैं । यदि माननीय सदस्य का यह सुझाव हो कि पदाधिकारियों की संख्या में कमी की जा सकती है तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम नये सिरे से इस मामले की जांच करेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब और विशेष रूप से, होशियारपुर जिले के तम्बाकू उत्पादकों की ओर से इस विशिष्ट मद के प्रशासन से सम्बंधित कोई अभ्यावेदन मंत्री महोदय को प्राप्त हुआ था ?

श्री ए० सी० गुहा : सच कहा जाय तो तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दुःखदायी वस्तु है । हमें सम्पूर्ण देश से अनेक अवसरों पर अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। मुझे निश्चित मालूम नहीं है कि होशियारपुर जिले से हमें कोई अभ्यावेदन मिला है। संभव है ऐसा हुआ हो ।

ध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी

*२११६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३–५४ में सरकारी कर्मचारियों के ध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेने अथवा उनमें सहयोग देने के कोई मामले सामने आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मामलों की संख्या कितनी है और उनको क्या दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १९५३–५४ में तथाकथित ध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेने अथवा उनको सहयोग देने के लिये ८५ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

(ख) इनमें से चार कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में सेवा निवृत्त कर दिया गया, नौ मामले समाप्त कर दिये गये और शेष बासठ मामले अभी विचाराधीन हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : मुख्य श्रेणियां कौनसी हैं जिनके अधीन उक्त ध्वंसक कार्यवाहियां वर्गीकृत की जा सकती हैं ?

डा० काटजू : यह एक ऐसा ब्यौरा है जिसमें आग विशिष्ट निर्देश की आवश्यकता नहीं है । यह स्वयं अपनी बात का परिचायक है । ध्वंसक कार्यवाहियां वे कार्यवाहियां हैं जो संविधान के उन्मूलन और भारत की अखंडता का विनाश करने में प्रयत्नशील हों ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुमान है माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ये कार्यवाहियां राजनीतिक, समाज विरोधी या अपराधमूलक हैं ।

डा० काटजू : आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है । मैं आपका आभारी हूं । साधारणतया, संविधान को उच्छेद करने की मंशा से की गई कार्यवाहियां ध्वंसात्मक हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : उनमें से राष्ट्रीय सुरक्षा विनियमों के अधीन कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं अथवा उनमें से किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित न्यायालों में भी कार्यवाही की गई थी ?

डा० काटजू : सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों से सम्बन्धित है और यदि किसी

व्यक्ति विशेष की संविधान के प्रति निष्ठा में शंका अनुभव की जाती है तो संविधान के अनुसार सरकार को समुचित संरक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। समुचित संरक्षण करने के पश्चात् कर्मचारियों को अलग करने के पूर्व पहले उन्हें अपने आचरण के स्पष्टीकरण का प्रत्येक युक्तिसंगत अवसर दिया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार इस प्रकार के मामलों की संख्या में वृद्धि होने के विशेष कारणों का पता लगायेगी जब कि १९५२ में हमसे कहा गया था कि ऐसे केवल दो मामले ही सामने आये थे?

डा० काटजू : यदि १९५२ में यह मामले कम थे, और १९५३-५४ में इन की संख्या बढ़ गई है तो माननीय मित्र स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं इतना कह दूं कि हम अत्यंत सावधान हैं। किसी भी व्यक्ति का उत्पीडन हमारा मंतव्य नहीं है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को नागरिक के अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है लेकिन इनके अतिरिक्त उसे अपनी नीतियों के प्रदर्शनार्थ किसी राजनीतिक कार्यवाही म भाग नहीं लेना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के पहले क्या सरकार उन्हें दोषारोपण-पत्र देती है, क्या सरकार उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होने का अवसर देती है किसी भी प्रकार की विभागीय जांच समिति अथवा इसी प्रकार की व्यवस्था के सामने उपस्थित होकर उन्हें अपना मामला रखने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाता है ?

डा० काटजू : निस्संदेह, यदि वह इस के लिये इच्छुक है। यदि वह वैयक्तिक रूप में उपस्थित होकर अपनी बात सुनाने की प्रार्थना करता है तो मेरा विचार है कि उसे अवसर दिया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या उसे भी दोषारोपण-पत्र दिया जाता है ?

डा० काटजू : अवश्य।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि जनवादी चीन अथवा सोवियत संघ से मित्रता बढ़ाने के लिये बनाये गये कतिपय संगठनों से सम्पर्क अथवा जन नाट्य आन्दोलनों के विकासार्थ सहयोग को भी ध्वंसात्मक कार्यवाहियों के समान माना गया है। कुछ समय पूर्व मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया था और मैं जानना चाहता हूं कि उसे वापिस ले लिया गया है अथवा वह अभी भी व्यवहार्य है ?

डा० काटजू : मैं विस्तृत चर्चा में नहीं जाऊंगा। इसमें बड़ी कठिनाई है। कुछ सस्थाएं अत्यंत निर्दोष नामों की आड़ में छद्म कार्य कर रही हैं। अतः उनके वाह्य रूप पर ध्यान न देकर हमें प्रत्येक संस्था के गुणावगुण पर विचार करना है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा प्रश्न था कि क्या जनवादी चीन की मित्रता की समृद्धि के लिये बनाये गये कतिपय संगठनों से सम्पर्क बनाना ध्वंसात्मक कार्यवाहियों में शुमार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर स्पष्ट है। अनेक नामों वाली अनेक छद्मवेशधारी संस्थाएं हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं यह समझूं कि सरकार की दृष्टि में समान प्रकार की संस्थाएं विविध नामों की आड में छलयुक्त कार्यों में लीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मेरा यह विचार नहीं है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी और इण्डियन टेलीफून इण्डस्ट्रीज में अंश

*२११७. **श्री एस० एन० दास :** क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी और इण्डियन टलीफोन इण्डस्ट्रीज में लगी उसकी अंश पूंजी को वार्षिक पांच प्रतिशत लाभांश देने वाली वरीयता प्राप्त अंश पूंजी समझी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् । उक्त प्रार्थना केवल हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट की मैसूर सरकार की अंशपूंजी से सम्बन्धित है ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त प्रार्थना करते समय मैसूर सरकार ने किन्हीं कारणों की ओर इशारा किया था ?

श्री एम० सी० शाह : हां, उन्होंने कुछ कारण बताये हैं ।

श्री एस० एन० दास : वे कारण क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : प्रश्न विचाराधीन है । मैसूर सरकार द्वारा बताये गये कारणों में से एक मुख्य कारण यह है कि अब यह केन्द्रीय उत्तरदायित्व है....

अध्यक्ष महोदय : बातचीत न करिये । इस से समस्त प्रक्रिया भंग होती है ।

डा० राम सुभग सिंह : वे गड़बड़ी करने का प्रयत्न कर रहे हैं ; यह तो कठिनाई है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दबीदबी बातचीत है जो एक बैंच से तीसरी अथवा चौथी बैंच तक बढ़ रही है । यह उचित नहीं है । मैंने कई बार कहा है कि इससे सदन की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है ।

श्री एम० सी० शाह : मैसूर सरकार ने यह मत व्यक्त किया कि केन्द्रीय सरकार का अधिक अंश होने से उसे (केन्द्रीय सरकार को) अप्रत्यक्ष रूप में अंशधारी की हैसियत से अधिक लाभ प्राप्त होता है और मैसूर सरकार के हितों को हानि उठानी पड़ती है । यह भी एक कारण है ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस अवधि में मैसूर सरकार ने पूंजी का विनियोग किया था, क्या उस अवधि में उसे कोई लाभांश दिया गया था, और यदि हां, तो कितनी रकम ?

श्री एम० सी० शाह : एक बार लाभांश घोषित किया गया था किन्तु उसे वापस अंश में सम्मिलित कर लिया गया । भारत सरकार को ३५०० अंश मिले और मैसूर सरकार को १७५० अंश ।

संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संघ द्वारा सम्भरित उपकरण

*२१००. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या शिक्षा मंत्री यूनेस्को द्वारा १९५३-५४ में भारत को सम्भरित उपकरण का कुल मूल्य (रुपयों में) बताने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ३,५६,१०४ रुपये १२ आने ६ पाई ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कालावधि में हम ने यूनेस्को को कितना अंशदान दिया है ?

डा० एम० एम० दास : वर्ष १९५३ में भारत सरकार ने युनेस्को को १४,७८,७०० रुपया अंशदान के रूप में दिया ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार समझती है कि उन्हें यूनेस्को से लगभग उतने मूल्य की सामग्री मिलनी चाहिये जितना कि वह अंशदान देती है ?

डा० एम० एम० दास : यूनेस्को से जो कुछ मिलता है उसका अनुमान रुपयों में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उपकरण के अलावा हमें वहां से विशेषज्ञों की सेवाएं, छात्रवृत्तियां, पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि भी मिल जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सभी चीजें यूनेस्को द्वारा खरीदी जाती है अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा ?

डा० एम० एम० दास : चीजें खरीदने का कोई प्रश्न नहीं । भारत सरकार द्वारा यह प्राप्त की गई है तथा यूनेस्को द्वारा यह दी गई है जैसा कि भारत सरकार तथा यूनेस्को के बीच इस सम्बन्ध में समझौता हुआ था ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह सत्य है युनेस्को में दुसरे देशों के कर्मचारियों के मुकाबले में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कम है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास इस समय इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) मैं इस बारे में कह दूं कि पिछले दो तीन बरसों के अन्दर हिन्दुस्तानियों की तादाद कुछ बढ़ी है ।

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम

*२११३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने अब तक अपने आविष्कार राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम के पास भेज दिये हैं ?

(ख) यदि भेज दिये हैं तो कौन कौन से; तथा ये आविष्कार किस प्रकार के हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) जी हां ।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ९]

श्री के० सी० सोधिया : इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य की प्रगति क्या है !

श्री के० डी० मालवीय : राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ने सभी गवेषणा संस्थाओं के अध्यक्षों से—जो कि लगभग १८ हैं—सूचना मांगी है तथा उन से कहा है कि उन्हों ने जो काम किया है और जो प्रयोग के लिए तैयार हैं, उसकी हम प्रारम्भिक जांच करेंगे । इन १८ गवेषणा संस्थाओं में से १४ संस्थाओं ने उत्तर दिया है तथा हमें जांच के लिए १०३ परियोजना प्रस्थापनाएं प्राप्त हुई हैं । उनकी अब जांच की जा रही है तथा राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम की अगली बैठक में शायद इन में से कुछेक पर फैसला किया जायेगा ।

प्रश्न संख्या २१०१ का अनुपूरक उत्तर

डा० सुम० एस० दास : श्रीमान्, मैं ने एक अनपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है, उस में मैं आप की अनुमति से कुछ जोड़ देना चाहता हूं। अन्यथा मेरा उत्तर तथ्यों को गलत रूप में पेश करेगा। यह प्रश्न संख्या २१०१, हिन्दुस्तानी संस्कृति संस्था इलाहाबाद के सम्बन्ध में है।

मैं ने निवेदन किया है कि १९४६-४७ से लेकर १९५०-५१ तक इस संस्था को इसका अपना प्रकाशन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए १,१२,००० रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा हम ने वर्ष १९५१-५२ में इस संस्था के लिए २५,००० रुपए का एक अनुदान मंजूर किया ताकि यह अपना भवन बना सके। १९५३-५४ में हम ने इसे अंग्रेजी की कम्साइज आक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी की लाइनों पर एक प्रामाणिक अंग्रेजी हिन्दी डिक्शनरी तैयार करने के लिए ६०,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया जोकि दो वर्षों में दिया जायगा। १९५३-५४ में इस संस्था को पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपये की दो किस्तें दी गई हैं तथा शेष राशि चालू वर्ष में दी जायगीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया

*२०९५. **डा० कृष्णस्वामी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया ने सरकारी कारोबार पर कुल कितनी कमीशन ली ?

वित्त उपमन्त्री (श्री ए० सी० गुहा) : इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया को देय कमीशन जिस पर कि हर पांच वर्ष बाद पुनः विचार होता है, बैंक द्वारा किए गए वास्तविक खर्च पर तथा सरकारी खाते के कुल कारोबार पर निर्भर होता है। १९५०-५१ में इन दरों पर पुनर्विचार हुआ था तथा १९५५-५६ में इन पर पुनर्विचार होगा। गत पांच वर्षों से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

	कुल कारोबार (रुपयों में)	कमीशन (रुपयों में)
१९४८—४९	१०२०,४४,८४,७५२	२२,०३,४७५
१९४९—५०	१०९२,१२,०३,६२९	२२,५९,४६९
१९५०—५१	१११८,८३,००,६५०	२९,२०,०४७
१९५१—५२	१२६३,८१,४५,६५२	३१,०१,७९९
१९५२—५३	१२२७,४६,४८,६४४	३२,३८,६२१

धुआं रहित ईंधन

*२०९६. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद स्थित केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में "कोलसाइट" नाम का एक धुआं रहित इंधन तैयार किया गया है ;

(ख) यदि तैयार किया गया है तो क्या इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है ; तथा

(ग) क्या यह घरेलू उपयोग के लिए सस्ता पड़ेगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) (क), (ख) तथा (ग). जी हां।

हैदराबाद सरकार ने सूचना दी है कि उनकी सेंट्रल लेबार्टरीज ने कोलसाइट के उत्पादन के लिए एक संयंत्र प्राप्त किया है तथा लगाया है। वर्तमान दैनिक उत्पादन लगभग १८ टन है तथा बताया जाता है कि कोलसाइट घरेलू खर्च के लिए लकड़ी के कोयले अथवा जलाने की लकड़ी से सस्ता पड़ता है।

प्राकृत ग्रंथ समिति

*२१०५. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्राकृत ग्रंथ समिति को एक साथ कितना अनुदान दिया है ?

(ख) इसके प्रबन्धक बोर्ड के सदस्य कौन हैं ?

(ग) यह अनुदान किस काम के लिए दिया गया था ?

(घ) इस समिति द्वारा अब तक क्या काम किया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्री (मौलाना आजाद): (क) १९५२-५३ में प्राकृत ग्रंथ समिति को तदर्थ आधार पर १०,००० रुपये का अनुदान दिया गया।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १०]

(ग) यह अनुदान समिति के सामान्य व्यय के लिए दिया गया था।

(घ) समिति ने १९५२-५४ की कालावधि में चौथी शताब्दी का एक प्राकृत ग्रन्थ 'अंग विज्जा' तैयार किया। आशा है कि यह ग्रंथ अक्तूबर, १९५४ में प्रकाशित किया जायगा।

सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

*२१०६. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में तरुण भारतीय कलाकारों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : श्रीमान्, यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध तरुण कलाकारों को छात्रवृत्तियां देने की हाल ही की परियोजना से है तो इस समय तक कोई भी नहीं दिया गया।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में भरती

*२१११. **डा० कृष्णस्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया में पदाधिकारियों और कर्मचारी वर्ग के पदोन्नति तथा भरती के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं ; और

(ख) यदि हैं, तो क्या इन नियमों का एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाएगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख)। रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के पदाधिकारियों और कर्मचारी-वर्ग की पदोन्नति और नियुक्ति के सम्बन्ध में बनाये गये नियम प्राय: रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया (कर्मचारी-

वर्ग) विनियम, १९४८ के अध्याय २ और ३ में दिए गए हैं, जिन्हें रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, १९३४ की धारा ७ द्वारा न्यस्त अधिकारों के अनुसार बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने बनाया है। इन विनियमों की एक प्रति पहले ही संसद पुस्तकालय में रखी गई है।

त्रिपुरा में ग्राम पंचायतें

४५०. **श्री दशरथ देव** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में इस तरह की कोई मांग प्रस्तुत की गई है कि वहां निर्वाचित ग्राम पंचायतों को आरम्भ किया जाये ; और

(ख) यदि की गई है, तो सरकार ने त्रिपुरा में इस प्रकार की पंचायतों को आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं।

(ख) त्रिपुरा में पंचायतों की स्थापना के प्रश्न के सम्बन्ध में छानबीन हो रही है।

सेवामुक्त सेना-कर्मचारी वर्ग का पुनर्संस्थापन

४५१. **सरदार हुकम सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सेवामुक्त सेना-कर्मचारीवर्ग को भूमि पर पुनर्संस्थापित करने के लिए १९५२-५३ में बनाई गई नौ बस्तियों में और कितने क्षेत्र में कृषि हुई है ; और

(ख) आज तक सेना-कर्मचारीवर्ग के कुल कितने व्यक्ति पुनर्संस्थापित हुये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ४१९७ एकड़।

(ख) आज तक सेना-कर्मचारीवर्ग के ७२२७ व्यक्तियों को भूमि पर पुनर्संस्थापित किया गया है, जिन में से १३३५ को भाग (क) में उल्लिखित नौ बस्तियों में पुनर्संस्थापित किया गया है।

बुधवार,
२८ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
त्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना---	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें---	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८७
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९०
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय में संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

	पृष्ठ भाग
मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	३६१७–३६१८
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन	३६१७
वित्त विधेयक—असमाप्त	३६१८–३६८८
बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४	
राज्य परिषद् से सन्देश—	
शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य	३६९०
"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज	३६९०
वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत	३६९०–३७६२
बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४	
याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन	३७६३
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	३७६३–३७६४
वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३७६४–३८६८
शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४	
सदन का कार्य	३८६९–३८७०
सरकारी विधेयकों का क्रम	३८७०–३८७२
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३८७२–३८८४
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित	३८८४–३९०४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३९०४
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९०५–३९२०
खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९२०–३९३०
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र— ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७–४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

संसदीय वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-०७ म० पू०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

माही के निकट फ़्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा

अध्यक्ष महोदय : नियम संख्या २१५ के अन्तर्गत मुझे दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। दोनों में प्रधान मंत्री का ध्यान एक ही विषय की ओर आकर्षित किया गया है। विषय है "२७ अप्रैल की सुबह को भारतीय प्रदेश में स्थित एक स्थान चिरुकालिया में फ्रेंच भारतीय पुलिस द्वारा भारतवासियों के एक दल पर गोली वर्षा तथा माही के फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा भारतीय सीमा का तथाकथित बारंबार उल्लंघन।"

तथ्यों का पता लगाने के लिये मैं इन्हें तत्संम्बन्धी मंत्रालयों को भेज रहा हूं।

स्थगन प्रस्ताव

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा

अध्यक्ष महोदय : दूसरी सूचना एक स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में है जिस का विषय है, "२७ अप्रैल, १९५४ को माही के निकट चिरुकालिया समावृत बस्ती में फ्रांसीसी पुलिस द्वारा भारतीय संघ की प्रादेशिक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता का उल्लंघन किया तथा भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में विलय समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोली वर्षा की जिस के फलस्वरूप एक भारतीय नागरिक श्री पी० पी० आनंदन की मृत्यु हुई तथा अन्य कई व्यक्ति घायल हुए।"

यह प्रस्ताव निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु मैं चाहता हूं कि पहले इस के तथ्यों का सत्यापन करा लिया जाये। इस के लिये मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा को उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया जाये जब तक कि नियम २१५ के अनुसार दी गई सूचना के जवाब में हम माननीय मंत्री का बयान न सुन लें। इस के पश्चात मैं विचार करूंगा कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाये या नहीं। इस सम्बेन्ध में समाचार पत्रों की सूचनायें उपलब्ध हैं परन्तु हम उन पर भरोसा नहीं कर

[अध्यक्ष महोदय]

सकते हैं क्योंकि समाचार पत्र कभी कभी अफवाहों के आधार पर भी समाचार प्रकाशित कर देते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : नियम ७७ के अन्तर्गत स्थगन प्रस्तावों पर कुछ पाबन्दियां लगाई गई हैं। यदि यह स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल हो और इसे स्वीकार कर लिया जाये तथा यदि सरकार को कोई आपत्ति न हो तथा अधिकृत सूचना एकत्रित करने के लिये कोई तिथि निर्धारित कर दी जाये तो हमारा अभिप्राय पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इस प्रस्ताव को अनियमित घोषित नहीं किया है। सभी तथ्यों का पता लगा लिया जाये इस के लिये मैं ने अपना निर्णय स्थगित कर दिया है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह तो ऐसा है जैसे घोड़े के सामने गाड़ी को जोतना। अधिकृत तथ्यों का पता लगाने के बाद ही हम उन के आधार पर अपना निर्णय दे सकते हैं तथा वाद-विवाद कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि सरकार को कोई चिन्ता न हो। सरकार स्वयं ही शीघ्र से शीघ्र सारी सूचनायें एकत्रित करेगी।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : यह दो सूचनायें मुझे केवल १५ मिनट पूर्व प्राप्त हुई हैं। मैं ने पण्डिचेरी के अपने महा वाणिज्य दूत को तथा मद्रास सरकार को शीघ्र से शीघ्र विस्तृत सूचना भेजने के लिये तार द्वारा आदेश भेजा है। मैं आशा करता हूं कि दो तीन दिन में इस घटना के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ जायेगी।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : ऐसी ही घटनायें जिन में भारतीय नागरिकों पर फ्रांसीसी पुलिस ने गोली चलाई है पहले भी हो चुकी हैं और जिन के सम्बन्ध में नियम २१५ के अनुसार सूचना दिये हुए मुझे पंद्रह दिन हो चुके हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि भारत की सारी फ्रांसीसी बस्तियों में जितनी भी इस प्रकार की घटनायें अब तक हुई हैं तथा जितने भी व्यक्ति फ्रांसीसी पुलिस द्वारा अब तक मारे गये हैं उन सब के ही सम्बन्ध में सरकार जानकारी जमा करे तथा सदन के सामने प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह सब काम दो तीन दिन में नहीं हो पायेगा।

कारखाना (संशोधन) विधेयक

—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधान-सम्बन्धी कार्य आरम्भ करेंगे तथा २७ अप्रैल १९५४ को श्री वी० वी० गिरी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे :

> "कि कारखाना अधिनियम १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाये।"

अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कहूंगा।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : वाद-विवाद के बीच श्री मोरे ने कहा था कि श्रम के प्रति सरकार का रवैय्या है, अधिकतम सहानुभूति तथा न्यूनतम कार्य। श्री शर्मा ने कहा है कि सरकार का रवैय्या है अधिकतम सहानुभूति तथा अधिकतम कार्य। मेरा उत्तर है कि सरकार का रवैय्या है तर्कसंगत सहानुभूति तथा तर्कसंगत कार्य। और फिर संविधान ने मूल अधिकारों की गणना कर के जनता को कुछ बातों का अधिकार देने का आश्वासन

दिया है जैसे कार्य करने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार इत्यादि । इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जाना चाहिये वह सब तो अभी नहीं किया गया है फिर भी थोड़ा बहुत तो किया ही गया है । इस सम्बन्ध के उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक कर्मचारी राज्य बीमा योजना है जो आगामी एक दो वर्ष में पूरी तरह से कार्यान्वित हो जायेगी । इस के द्वारा पच्चीस लाख औद्योगिक मजदूरों को अनेक प्रकार की सहायतायें जैसे, दुर्घटना सहायता, डाक्टरी सहायता, रोगी हो जाने पर सहायता, प्रसवकालीन सहायता इत्यादि, दी जायेंगी । इतना ही नहीं वरन् हम इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में जो भी विधान बनाया जाये उन से न केवल औद्योगिक मजदूरों को ही सहायता पहुंचाई जाये वरन् उन के परिवारों को भी सहायता दी जाये, जिस का अर्थ होगा औद्योगिक जनता में से लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को सहायता देना । इसी प्रकार हम ने एक भविष्य निधि संस्था भी बनाई है जो और अधिक उद्योगों को अपनी परिधि में ले रही है । हम ने करोड़ों रुपया जमा किया है । उस का भी हम औद्योगिक मजदूरों के लिये गृह व्यवस्था करने के निमित्त उपयोग कर रहे हैं । भविष्य निधि बुढ़ापे में मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिये

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक प्रकार का बीमा है । इसी प्रकार छंटनी तथा ले ऑफ़ के सम्बन्ध में बेकारी के समय मजदूरों को कुछ न कुछ सहायता देने के लिये हम ने कुछ न कुछ प्रबन्ध किया है । जो मजदूर छंटनी में बेकार हो जाते हैं, उन को कोई अंशदान दिये बिना ही एक वर्ष के काम के पीछे आधे मास की मजदूरी बेकारी भत्ते के रूप में मिलती है । फिर भी जो भी प्रयत्न किये गये हैं उन की सफलता के लिये उचित आधार पर लोकतंत्रात्मक मजदूर सभाओं का संगठन किया जाना बहुत ही आवश्यक है ऐसी संस्थाओं का जिन में संयम हो तथा शक्ति हो । तभी वे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकेंगी ।

चाहे जैसा सामाजिक संगठन क्यों न हो मैं द्विपक्षीय तथा त्रैपक्षीय समझौतों तथा श्रम सम्बन्धी विधान, तीनों में विश्वास करता हूं । पूंजीवाद रहित देशों में भी मजदूरों तथा प्रबन्धकों के झगड़े होते हैं । इसलिये प्रत्येक दशा में उचित यही है कि मजदूरों तथा प्रबन्धकों में प्रत्येक विषय पर विचारों का आदान प्रदान होता रहे जिस में मजदूर स्वयं प्रत्येक कठिनाई को समझें तथा किसी न किसी प्रकार का समझौता होता रहे । तभी औद्योगिक शान्ति कायम रह सकती है तभी श्रम सम्बन्धी विधानों का उचित रूप से पालन भी हो सकता है ।

ले ऑफ तथा छंटनी के लिये जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है चाय बागानों के मजदूरों को भी उन से लाभ पहुंचाने के लिये मैं ने कलकत्ते में तीनों पक्षों का एक भारतीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया था जिस में सर्व सम्मति से यह तै पाया कि चाय बागानों के मजदूरों के लिये भी ले ऑफ़ तथा छंटनी सम्बन्धी उपबन्ध लागू कर दिये जायं ।

किसी ने कहा कि यदि हड़तालें कम होती हैं तो यह नहीं समझना चाहिये कि मजदूरों में बहुत संतोष है । मैं इस को मानता हूं तथा यह ठीक है परन्तु मेरा विचार है कि गत दो तीन वर्षों में द्विपक्षीय तथा त्रैपक्षीय समझौतों में मजदूर पर्याप्त रूप से विश्वास करने लगे हैं तथा यह अनुभव करने लगे हैं कि सब प्रयत्नों के असफल होने पर ही हड़ताल करनी चाहिये । मजदूरों तथा मालिकों के झगड़ों का निपटारा सामूहिक वार्ता के आधार पर किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मैं ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है तथा मजदूर सभायें बड़े उत्तरदायित्व से काम लेंगी ।

[श्री वी० वी० गिरि]

तीस पैंतीस वर्षों से मैं इन विचारों में विश्वास करता आ रहा हूं तथा समय की गति ने मेरे इन विचारों को और पुष्ट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य परिषद द्वारा पारित कियां गया है, विचार किया जाय ।"

इस विधेयक में केवल एक ही खण्ड है जिस में समय को ३० अप्रैल, १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक बढ़ाने का विचार किया गया है । समय की यह सीमा उस कालावधि को निश्चित करती है जिस तक १९५३ के अधिनियम १ में निर्दिष्ट विभिन्न समितियों की सदस्यता पर अनर्हता लागू नहीं होगी । सदन को विदित है कि पिछले सत्र में संसद् ने संविधान के अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत एक विधेयक पारित किया था । अनुच्छेद में लिखा है :

> "कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है;"

इस प्रकार से यद्यपि अनर्हता इस अनुच्छेद के सारभूत उपबन्ध से निश्चित कर दी गई थी, कुछेक विशिष्ट मामलों में संसद् को ढील देने का अधिकार रक्षित रखा गया था । इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद् ने पिछले वर्ष १९५३ का प्रथम अधिनियम बनाया । मेरा आशय अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) अधिनियम से है । यदि माननीय सदस्य अधिनियम का निर्देश करें तो वह देखेंगे कि कुछ मामलों में अनर्हता को स्थायी रूप से हटा दिया गया था तथा कुछ दूसरे मामलों में केवल अस्थायी काल के लिए ही छूट दी गई थी । अनर्हता को स्थायी रूप में उन मामलों में हटाया गया था जिन में पद लाभ के पद नहीं थे । "लाभ का पद" शब्दों के सम्बन्ध में सन्देह तथा कठिनाई प्रकट की गई थी, उदाहरणार्थ इस बारे में सन्देह प्रकट किया गया था कि क्या वेतन तथा परिश्रमिक भत्ता आदि लेने से ही किसी व्यक्ति को लाभ पद पर नियुक्त समझा जायगा । इस के विपरीत ब्रिटेन में यह दृष्टिकोण है तथा मेरा विश्वास है कि कुछ दूसरे देशों में भी यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि यह लाभ वित्तीय लाभ तक ही सीमित नहीं है तथा वित्तीय लाभ के अतिरिक्त इस में कुछ और भी शामिल है । जहां पदधारी को धन के रूप में व्यक्त न किये जाने योग्य कुछ दूसरे भौतिक लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है, उस पद को भी 'लाभ का पद' समझा जायगा । अतः यह पद स्वयं एक अनर्हता होगा ।

इस विचार से सरकार ने कानूनी परामर्श लेने के बाद यह फैसला किया कि जिन पदों

के सम्बन्ध में समितियों के कृत्य केवल मंत्रणा अथवा परामर्श देना ही है तथा जिन में वैयक्तिक आश्रय नहीं है और न ही जिन में नियुक्तियां करने तथा कार्यपालिका के दूसरे कर्तव्यों के पालन करने का कोई प्रश्न उठता है, उन पदों पर होने से कोई व्यक्ति अनर्ह नहीं होगा ।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : आप भेद कैसे करते हैं ?

श्री बिस्वास : सरकार ने इस विचार को अपनाया है कि जहां समितियां मंत्रणा देने का कृत्य ही करती ह, उन्हें अनर्ह नहीं समझा जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा का एकमात्र विषय कालावधि का विस्तार है । इस बीच मंत्री महोदय समस्त वैयक्तिक मामलों पर विचार करेंगे तथा बाद में अपेक्षित संशोधन प्रस्तुत करेंगे । इन सब बातों पर पहले विचार हो चुका है, तथा माननीय मंत्री अब फिर इस का उत्तर न दें ।

श्री बंसल : हमारी कठिनाई यह है कि हम में से कुछ सदस्य नितान्त : गैर-मंत्रणा निकायों में कार्य कर रहे हैं जिन्हें बाद में उच्चतम अथवा कोई और न्यायालय मंत्रणा निकाय घोषित कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रणा, गैर-मंत्रणा लाभ के पद आदि सम्बन्धी समस्त बातों पर माननीय मंत्री विचार करेंगे । इस समय सवाल केवल कालावधि के बढ़ाने का है ।

श्री बिस्वास : यद्यपि दुर्भाग्य से कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने इस के लिए दो घंटे का समय रखा है, मैं इसे केवल कुछ मिनटों में ही समाप्त कर देना चाहता हूं ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमान्, समिति ने दो घंटे का समय निश्चित करते समय माननीय मंत्री द्वारा तैयार किये गये विस्तृत विधेयक को विचाराधीन रखा था ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या उस विधेयक को कार्यक्रम मंत्रणा समिति के सामने रखा गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इतना ही कह सकता हूं कि समिति सदैव आवश्यकता से अधिक समय देने की ग़लती करती है ।

श्री बिस्वास : मैं अब इस के सिवाय और कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है । इस के लिए वर्ष के अन्त तक समय बढ़ाया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : मेरा एकमात्र सुझाव यह है कि सरकार विधेयक बनाने से पहले वैयक्तिक मामलों पर विचार करते समय अथवा उन के सम्बन्ध में फैसला करते समय संसद् के कुछ सदस्यों से परामर्श ले ।

श्री एस० एस० मोरे : पिछले अवसर पर मैं ने इस विधेयक के प्रयोजन का वर्णन किया था । राजनैतिक दल दृढ़ता से सत्तारूढ़ रहने के लिए अपने समस्त सदस्यों को कोई न कोई लाभ पहुंचाते रहते हैं । हमें इस प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये ।

मैं पूछना चाहता हूं कि संसद् की इतनी समितियों पर इतने संसद्-सदस्य क्यों काम कर रहे हैं ? क्या संसद्-सदस्यों की सारी शक्ति तथा समय संसद् के कामों तथा सार्वजनिक कामों में ही खर्च नहीं हो जाता है ? मैं यह स्वीकार नहीं करता कि हमारे देश में योग्य व्यक्तियों की कमी है । हम पदों के बंटवारे सम्बन्धी अमरीकी प्रणाली का बिना

[श्री एस० एस० मोरे]

सोचे समझे बहुत प्रयोग करने लग पड़े हैं। वहां सदस्यों की राजनैतिक दलों में निष्ठा को दृढ़ रखने के लिए उन्हें अनेक प्रलोभन दिये जाते हैं। पिछली बार कालावधि को ३० अप्रैल निश्चित करते समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि सब व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जायगा। इस आश्वासन को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ? मैं इस का एक ही कारण समझ सकता हूं कि ये सदस्य अपने लाभ के पदों से हाथ धोने के लिए तैयार नहीं हैं। ३० अप्रैल के निकलते ही उन के स्थान रिक्त हो जाने वाले थे।

मैं ने पिछले अवसर पर सचेतक तथा उप-सचेतक के अनर्हता से मुक्त होने का प्रश्न भी उठाया था। मैं ने तब पूछा था कि क्या उप-सचेतक संविहित पदाधिकारी हैं। उस समय मंत्री महोदय ने इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की थी। क्या अभी तक उन्हें वे उपबन्ध मालूम हुए हैं जिन के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने उप-सचेतकों की नियुक्ति के आदेश-जारी किये हैं ? उप-सचेतक को दल के सभी सदस्यों को दल के साथ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कैसे की जाती है ? विधि मंत्री को अगले विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले यह सूचना एकत्र करनी चाहिये।

जहां तक कालावधि में सात या आठ मास और बढ़ाने का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री हमें वे निश्चित कारण बतायें जो इस सदन को शुद्ध करने में उन के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। इतने व्यक्तियों को निजी वित्तीय लाभ के पदों पर रखने के क्या कारण हैं ? ये सदस्य अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाते रहते हैं जिस से बाद में काफ़ी वित्तीय लाभ हो सकते हैं। मैं इन सब बातों को समझना चाहता हूं तथा माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न है कि उप-सचेतकों को किन विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है तथा वे किन सरकारी कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।

विधि मंत्री हमें इस अपेक्षित अवधि विस्तार का भी कोई उचित कारण बतायें। वे चाहें तो दो तीन मास ले सकते हैं। उन्हें सारी स्थिति पर विचार करते हुए यह देखना चाहिये कि यह प्रतिबन्ध कितने व्यक्तियों पर लागू होता है तथा उन्हें यहां पर अपने स्थानों पर कार्य करते रखने के लिए कोई रचनात्मक सुझाव देना चाहिये। सदन के शुद्ध करने का यह सारा कार्य दो तीन मास में हो जाना चाहिये। अब समय आ गया है कि सदस्य सदन अथवा समितियों की सदस्यता के बारे में कोई फैसला करें।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : धारा ४ से उत्पन्न हुई परिस्थिति से इस सदन के कई सदस्यों को बहुत चिन्ता हुई है तथा मानसिक दुख पहुंचा है। विधान-निर्माण के काम में आज तक ऐसी भ्रमात्मक स्थिति नहीं पाई गई है। अतएव मैं विधि मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्हों ने हमारी अन्तिम क्षण में सहायता करने का यह उपाय किया है।

मुझे वास्तविक चिन्ता उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से हुई है। इस में संविहित मंत्रणा तथा गैर-मंत्रणा निकायों पर लागू होने वाले एक प्रस्तावित विस्तृत विधेयक का वर्णन है। इस विभेद के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विधिविज्ञों का मतभेद है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि विधेयक केवल संघीय सरकार के ही नहीं, अपितु राज्य सरकारों के अधीन अधिकारियों की अनर्हता के बारे में है जो स्वयं प्रत्येक मामले में उन का पथ प्रदर्शन कर सकती है। केवल संविहित निकायों के बारे में अनर्हताओं निवारण के मार्ग में कई कठि-

नाइयां हैं। कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त की गई कई समितियां तथा मंत्रणा निकाय ऐसे होते हैं जो परिनियत नहीं होते हैं। एक ऐसा उदाहरण केन्द्रीय तम्बाकू समिति का है। यह समिति भारत सरकार के एक संकल्प से स्थापित हुई है; क्या इसे संविहित समझा जायगा ? उस अवस्था में इस का अर्थ यह होगा कि केन्द्रीय तम्बाकू समिति के किसी सदस्य पर प्रस्तावित विधान लागू नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस सब ब्यौरे की हम इस क्रम पर चर्चा करें ? माननीय मंत्री क्या फैसला करते हैं तथा भावी विधान में क्या रखते हैं, यह बात आज के विषय से संगत नहीं है।

माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से उन से चर्चा कर सकते हैं या उन्हें ज्ञापन भेज सकते हैं।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं.....

श्री बिस्वास : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण के सम्बन्ध में बहुत ग़लतफ़हमी हुई है। जब यह विधेयक, जो कि अब एक अधिनियम है, सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ था तो मैं ने यह आश्वासन दिया था कि मैं उन संविहित निकायों के मामलों की परीक्षा करवाऊंगा जिन के सदस्यों को अनर्ह घोषित किया जा रहा है। इस का यह अर्थ नहीं था कि असंविहित निकाय अनर्हता से मुक्त थे। यदि मेरे मित्र इस अधिनियम की धारा ४ को देखें, तो इस धारा की उपधारा (क) में मंत्रणा समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों का उल्लेख है और उपधारा (ख) में संविहित निकायों की सदस्यता का उल्लेख है। मैं ने केवल संविहित निकायों के सम्बन्ध में ही वह आश्वासन दिया था और मैं संविहित निकायों के सम्बन्ध में सभी मंत्रालयों से जानकारी इकट्ठी कर रहा था। दुर्भाग्य से मेरे पास अभी इन की पूरी सूची तैयार नहीं हो सकी है, कुछ और संविहित निकाय शेष रह गये हैं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह दो वर्ष के अन्दर पूरी हो जायेगी ?

श्री बिस्वास : मेरे मित्र दो वर्ष की बात कर रहे हैं मैं इसे नौ मास में पूरा कर दूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : नौ मास में ! (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने का अधिकार होगा। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? मैं सचिवालय से बुलेटिन में एक सुझाव रखने के लिये कहूंगा कि इस विषय में सभी सुझाव माननीय विधि मंत्री के पास भेज दिये जायें और उन्हें जो सुझाव भेजे जायेंगे वे उन सब पर विचार करेंगे। और श्री रेड्डी के सुझाव के अनुसार विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करने से पूर्व वे संसद् के कुछ माननीय सदस्यों को आमंत्रित भी करे जिस से कि जो कमी रह गई हो उसे पूरा कर लिया जाये और आपत्तियों को दूर कर दिया जाये !

यह विधेयक तो केवल पिछले विधेयक को जारी रखने के लिये रखा गया है अतः हमें इस विषय पर अनावश्यक रूप से समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

मेरे विचार में श्री रघुरामय्या काफ़ी बोल चुके हैं।

श्री रघुरामय्या : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमें पहले ही यह पता लग जाना चाहिये कि हमारी क्या स्थिति है या हम सब को त्यागपत्र देना पड़ेगा या नहीं ? विधेयक काफ़ी व्यापक होना चाहिये जिस में न केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मंत्रणा निकाय

[श्री रघुरामय्या]

आ जायें अपितु राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त या भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले मंत्रणा निकाय भी आ जायें ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : माननीय मंत्री एक ऐसे विधान को वैधानिक बनाने के लिये इस सदन में आये हैं जो यदि अवैधानिक नहीं है तो कम से कम उस की वैधानिकता में सन्देह अवश्य है । संविधान द्वारा जान बूझ कर लगाई गई अनर्हताओं से बचने के इस संक्षिप्त तरीके से प्रजातंत्र को जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाये उतना ही अच्छा है ।

लाभ वाले पदों के सम्बन्ध में स्थिति जितनी जल्दी स्पष्ट हो जाये उतना ही अच्छा है । यदि सरकार इस विषय को उच्चतम न्यायालय को सौंप देती तो बड़ा अच्छा होता । श्रीमान्, आप जानते हैं कि उसे मंत्रणा देने का अधिकार है और वह इस प्रश्न को बड़ी अच्छी प्रकार निबटा कर अपना निर्णय दे देता जो सर्वमान्य होता । मुझे अब भी आशा है...

उपाध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय को कौन-सा प्रश्न सौंपना चाहिये—कि क्या यह लाभ वाले पद हैं या नहीं ?

श्री एन० सी० चटर्जी : लाभ वाले पद कौन कौन से हैं ? आप को ज्ञात है कि महान्याय-वादी तथा निर्वाचन आयोग में मतभेद हो गया था । विन्ध्य प्रदेश के मामले में निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय दिया था कि ये लाभ वाले पद हैं और सम्बद्ध सदस्यों को वस्तुतः अनर्ह घोषित कर दिया था । तब एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और यह प्रश्न उठा था....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह लाभ वाले पद न हों तो संसद् द्वारा विधान निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । यदि यह मान लिया जाये कि यह लाभ वाले पद हैं तो संसद् इस विषय में स्वविवेक का प्रयोग करती है कि उसे मुक्त किया जाये या नहीं । अतः अनर्हता निवारण के लिये यदि कोई विधान प्रस्तुत किया जाता है तो उस में यह बात अन्तर्हित होती है कि यह लाभ वाले पद हैं या उस जैसे ही हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : जैसा कि आप ने बताया है सदन के समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि हमें छूट जारी रखनी चाहिये या उसे वैसे ही रहने देना चाहिये....

उपाध्यक्ष महोदय : यह मान कर कि इन में से प्रत्येक लाभ वाला पद है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह मान कर ही । सदन के समक्ष ये सब आंकड़े होने चाहियें कि इस में कितने व्यक्तियों का प्रश्न है कौन कौन सी समितियां हैं कौन कौन से पदों का प्रश्न है । मैं यह नहीं समझता कि विधि मंत्री अमेरिका के समान यहां भी सरकार की लूट प्रणाली पर अपनी मुहर लगाना चाहते हैं । वास्तव में सरकार को लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि सरकार केवल अमुक बात पर संसद् की मुहर लगवाना चाहती है इस के पीछे उस का कोई बुरा उद्देश्य नहीं है ।

विधि मंत्री को एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि इस में और विलम्ब या टालमटोल नहीं होनी चाहिये । हमें भविष्य में इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिये कि कोई मंत्री संसद् के समक्ष आ कर कहे कि "मेरा व्यापक विधेयक अभी तैयार नहीं हुआ है । अतः इसी विधेयक की अवधि बढ़ा दी जाये ।" यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिये ।

मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री हमें ऐसे लोगों की संख्या तथा उन के पदों इत्यादि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देंगे ।

श्री बंसल : मैं मंत्रणादाता तथा गैर-मंत्रणादाता निकायों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इस प्रश्न पर विचार हो चुका है ।

मेरी कठिनाई यह है कि हम संसत्सदस्य होने के नाते सामुदायिक परियोजना मंत्रणा समिति तथा अपने ज़िले की जन सम्पर्क समिति इत्यादि जैसी मंत्रणा समितियों के सदस्य हैं । यद्यपि हमें न से कोई भत्ता इत्यादि तो नहीं मिलता है किन्तु श्री मोरे के कथनानुसार हमें इस से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ तो हो सकते हैं हम अपने गांव में कुआं ही बनवा सकते हैं । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन निकायों की सदस्यता जिन में कि हम केवल संसत्सदस्य होने के नाते और मंत्रणादाता के रूप में कार्य कर रहे हैं लाभ वाला पद होगी या नहीं । इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये ।

एक और मामला भी है । संसत्सदस्य होने के नाते हम राज्य सरकारों को कुछ सुझाव देते हैं । जैसे पंजाब सरकार ने सहकारी ऋण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक मंत्रणा समिति नियुक्त की थी और मुझे उस का सदस्य मनोनीत किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति की सदस्यता लाभ वाला पद होगी या नहीं । ऐसी बात नहीं है—जैसा कि श्री एस० एस० मोरे ने कहा—कि हम निजी लाभ के लिये चोरी से इन में सम्मिलित हो जाते हैं । किन्तु मैं श्री एस० एस० मोरे की इस बात से सहमत हूं कि सदन का कार्य इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है कि सदस्यों के पास और किसी कार्य के लिये समय ही नहीं रह जाता है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे लाभ वाले पद की परिभाषा करते समय ऐसे मामलों का भी ध्यान रखेंगे जब हमें केवल संसत्सदस्य होने के नाते किसी निकाय का सदस्य बनना पड़ता है ।

हमें किन निकायों को मंत्रणादाता तथा गैर-मंत्रणादाता संविहित तथा असंविहित निकाय समझना चाहिये इस बड़े प्रश्न का भी निश्चय करना होगा ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कांग्रेसी सरकार एक सीमित दायित्व समवाय है जिस का लाभांश असीमित है और यदि इस का कोई प्रमाण चाहिये तो यह विधेयक इस का प्रमाण है । यह वस्तुतः बड़ा विचित्र विधेयक है । इस पर ३० अप्रैल १९५४ की तिथि लिखी हुई है और आज २८ अप्रैल १९५४ है और सरकार इसे तुरन्त पारित करवाना चाहती है । यह विधेयक सरकार के भाई-भतीजावाद का नग्नस्वरूप है । सरकार को इस प्रकार अपना शासन नहीं चलाना चाहिये । उसे एक बार ही इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि क्या विधि की पकड़ में आता है और क्या नहीं आता है । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि मैं भाई-भतीजावाद का शत्रु हूं ।

श्री एन० एम० लिंगम् (कोयम्बटूर) : मेरे विचार में श्री एस० एस० मोरे का यह कहना ठीक नहीं है कि इस विधेयक से सरकार का अभिप्राय सदस्यों पर अपनी कृपा को स्थायी बनाना है । उन्हें स्मरण होगा कि हम ने सदन में बहुत से संकल्प पारित किये हैं जिन में देश के जीवन के बहुत से पहलुओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिये सरकार से संसदीय समितियां नियुक्त करने के लिये कहा है । अब एक कठिनाई उत्पन्न हो गई है क्योंकि इस में सन्देह है कि इन समितियों की सदस्यता लाभ वाला पद है या नहीं । इस विधेयक द्वारा इस कठिनाई को दूर करना अपेक्षित है । दूसरे शब्दों में सारी कठिनाई मंत्रणादाता निकायों तथा संविहित निकायों में भेद करने की है । कई सदस्यों ने इस सन्देह

[श्री एन० एम० लिंगम]

के कारण ही रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति तथा सामुदायिक परियोजना मंत्रणा समिति इत्यादि की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिये हैं। अतः इस सन्देह को दूर करने के लिये इस छूट को इस पत्री वर्ष के अन्त तक बढ़ाया जाना आवश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र इस विषय में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री एस० एस० मोरे ने उप-मुख्य-सचेतक की नियुक्ति पर आक्षेप किये थे। उप-मुख्य-सचेतक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह एक उपमंत्री के समान मुख्य-सचेतक का सहायक होता है।

श्री एस० एस० मोरे : संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है ?

श्री एन० एम० लिंगम : यह तो माननीय विधि मंत्री बतायेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि उप-मुख्य-सचेतक की नियुक्ति दलगत नियुक्ति नहीं होती है, अपितु सरकारी नियुक्ति होती है।

इस सम्बन्ध में एक और कठिनाई है। यह सत्य है कि संविहित निकायों की सदस्यता को इस पत्री वर्ष के अन्त तक अनर्हता से छूट मिली हुई है, किन्तु ऐसे भी निकाय हैं, जैसे चाय बोर्ड—जिनके सदस्यों का चुनाव अभी होना है। चाय अधिनियम के अन्तर्गत संसत्सदस्यों को चाय बोर्ड का सदस्य बनना पड़ेगा, किन्तु अनर्हता के भय से ही अभी यह चुनाव नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन निकायों की सदस्यता अनर्हता का कारण बन सकती है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इन निकायों का चुनाव करेगी ?

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : इस विधेयक को पारित करके सरकार माननीय सदस्यों की सम्भावित अनर्हताओं का निवारण करना चाहती है। हम माननीय सदस्यों के विभिन्न समितियों में रखे जाने के विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु शर्त यह है कि वे सदस्यता का प्रयोग स्वार्थ साधन के लिये न करें। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाभ वाले पद के प्रश्न का निश्चय एक बार गम्भीरता से कर लिया जाये जिससे कि बार बार अनर्हता निवारण की आवश्यकता न पड़े। यदि हम इसी प्रकार करते जायेंगे, तो कोई लाभ वाला पद रहेगा ही नहीं। हमें लाभ वाले पद की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिये जिससे कि कहीं सन्देह की गुंजाइश न रह जाये।

जन प्रतिनिधान अधिनियम को संशोधित करके एक व्यापक निर्वाचन विधि जिससे नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने इत्यादि सभी प्रकार की निर्वाचन सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जायें, बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड-सोरठ) : 'लाभ वाले पद' का निर्वचन इतना व्यापक है कि संविधान में भी यह व्यवस्था करनी आवश्यक हो गई कि कुछ लाभ के पदों पर कार्य करने वालों को संसद् विधान के द्वारा अनर्ह घोषित नहीं कर सकती है। इसमें पक्षपात या अनुचित संरक्षण आदि की बात नहीं है। जब विन्ध्य प्रदेश विधेयक पर हम चर्चा कर रहे थे तब इसके बारे में हमने अच्छी तरह चर्चा की थी अतः कम से कम श्री चटर्जी को यह जानना चाहिये कि इससे प्रजातन्त्र को कोई भय नहीं है।

यह निश्चित करना कि अनुच्छेद १०२ की दृष्टि से कौन कौन पद लाभ वाला पद है

संसद् का कार्य है । यह तो नीति का प्रश्न है न कि निर्वचन का; अतः उच्चतम न्यायालय में इस मामले को भेजने का कोई प्रश्न नहीं है ।

इस वर्ष अधिनियम १ इसको दो भागों में विभाजित करता है । धारा ३ में स्पष्ट है कि ऐसे पद जो परामर्शदाता, या मंत्रणा देने से सम्बन्ध रखते हैं लाभ के पद नहीं होंगे । धारा ४ में भी कहा गया है कि ३० अप्रैल तक कुछ पद लाभ के पद नहीं माने जायेंगे धारा ४ के सम्बन्ध में ही यह संशोधन अधिनियम संसद् में प्रस्तुत किया गया है ।

श्री बंसल ने मंत्रणा समिति तथा कार्य-पालिका समितियों के बारे में शंका प्रकट की है । मैं मानता हूं कि कभी कभी उनमें भेद करना कठिन हो जाता है । शंका होने पर हो सकता है प्रधान इसके बारे में निश्चय कर दें; किन्तु सदस्य ही कानूनी परामर्श लेकर इसके बारे में निर्णय करेंगे कि उन्हें समिति का सदस्य होना चाहिये अथवा नहीं ।

असंविहित कार्यपालिका समितियों के सम्बन्ध में सरकार अनर्हता निवारण करना नहीं चाहती है, और विधि मंत्री ने विधेयक पारित करते समय संविहित ग़ैर कार्यपालिका समितियों के बारे में ही आश्वासन दिया था । अतः असंविहित कार्यपालिका समितियों के बारे में संसद् एवं सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है । यदि वे पद लाभ के पद हैं तो उन्हें अलाभ के पद की तरह बताना अथवा उनके साथ ऐसा व्यवहार करना उनका उद्देश्य नहीं है । किन्तु अनर्हता निवारण को सरकार इस वर्ष के अन्त तक जारी रखना चाहती है ताकि इस प्रकार की समितियों से सदस्य स्वयं ही त्याग पत्र दे दें ।

श्री रघुरामय्या का कहना है कि राज्य सरकारों को भी यह छूट दी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों की क़ानूनी स्थिति ऐसी है कि अपने विधान मंडलों द्वारा ही वे यह तै करेंगी कि कौन कौन पद लाभ के पद हैं ।

अन्त में श्री चटर्जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि यह अनिश्चितता समाप्त हो जानी चाहिये और इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम बात निश्चित हो जानी चाहिये । अतः मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि इसका निश्चय करने से पूर्व सरकार अन्तिम बार यह अवधि के विस्तार की मांग कर रही है ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद–उत्तर): मैं चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री 'लाभ वाले पद' की परिभाषा स्पष्ट रूप से कर दें ताकि कुछ व्यक्तियों को अनर्ह घोषित न करने के लिए बार बार संसद् से समय न मांगना पड़े । कहीं भी 'लाभ वाले पद' की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं की गई है । अतः मेरा निवेदन यह है कि बजाय इसके कि माननीय विधि मंत्री एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करें, वह 'लाभ वाले पद' की परिभाषा स्पष्ट रूप से कर दें । और उस परिभाषा को या तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान में संलग्न कर दिया जाये ताकि जनता को पहले से ही इस बात का ज्ञान हो जाय कि मंत्रणा अथवा गैर-मंत्रणा समितियों के सदस्य होने में वे कहीं अनर्ह तो नहीं हो जायेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : "मंत्रणा" तथा "गैर-मंत्रणा" की परिभाषा करना बड़ा कठिन है । 'उद्देश्य तथा कारणों के विवरण' में माननीय विधि मंत्री ने कहा है कि सभी सुसंगत अधिनियमों का अध्ययन एवं संशोधन करना होगा । किन्तु यह भी बड़ा कठिन कार्य है । माननीय मंत्री को चाहिये कि इसकी परिभाषा करने के बजाय विभिन्न श्रेणियों के उदाहरण देकर वे स्पष्ट कर दें। मुझे डर यह है कि यदि, जैसा कि 'उद्देश्य तथा

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

कारणों के विवरण' में कहा गया है, सभी सुसंगत अधिनियमों को संशोधन के लिए चुन लिया जाये तो यह प्रयत्न बड़ा विस्तीर्ण हो जायगा और आगे के सभी अधिनियमों में उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि अमुक-अमुक बातें अनर्हतायें हैं अथवा अमुक अमुक नहीं। किन्तु दूसरी ओर यदि उदाहरण दिये जाते हैं, तो प्रत्येक सदस्य यह जान सकता है कि वह इस वर्ग में आता है अथवा नहीं। अतः माननीय विधि मंत्री से निवेदन है कि अपने संशोधन में मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है उनके आधार पर वे बहुत से उदाहरण दें।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जिस समय संविधान सभा में संविधान प्रस्तुत किया गया था तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डा० अम्बेडकर ने कहा था कि खंड १०२ का उपयोग अपवाद के रूप में ही करना होगा न कि सामान्य नियम के रूप में। आज बाहर जनता में यह सन्देह व्यापक है क्या इस खंड का उपयोग हम उचित रूप से कर रहे हैं अथवा नहीं? जनता की इस विचारधारा पर हमें विचार करना होगा। संसद् सदस्यों ने किसी न किसी समिति में भाग लेकर जो स्थिति उत्पन्न कर दी है वह बड़ी खराब है। उस समय मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया जब मैंने सुना कि उप-मुख्य-सचेतक को राष्ट्रपति के आदेशानुसार पदाधिकारी बनाया जा रहा था। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। चाहे वह प्रजातंत्रीय देश हो अथवा वहां किसी राजा का शासन हो। इस पर हमें दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करना होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि उसे अब भी सरकार से वेतन मिलता है। इसके बारे में विधि मंत्री ने कुछ नहीं बताया था। यदि विधि मंत्री इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह जानकारी दे कि क्या इन नये पदाधिकारी को सरकार की ओर से कोई वेतन मिलता है अथवा नहीं? मेरा सन्देह तो यह है कि वह दल जिसके पास शक्ति है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। जिस समय 'लाभ वाले पद' वाला खंड संविधान में सम्मिलित किया गया था उस समय यह नहीं सोचा गया था कि सत्तारूढ़ दल कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। उन देशों में जहां कि प्रजातन्त्रीय भावना इतनी विकसित नहीं हुई है वहां संसद् सदस्यों में से राजदूत या सचिव नियुक्त किये जाते हैं। किन्तु हमारे यहां उक्त स्तर का प्रजातंत्रीय संविधान है अतः संविधान का हमें अक्षरशः पालन करना चाहिये ताकि सभी स्थितियों में प्रजातन्त्रीय भावनाओं का विकास हो।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : सन् १९५१ में इस विधेयक के बारे में सरकार के सामने दो दृष्टिकोण थे। एक तो यह था कि ब्रिटेन में किस प्रकार के पद को लाभ का पद कहते थे तथा आजकल कहते हैं। दूसरा यह था कि इस प्रकार के पदों के लिए कितना पारिश्रमिक दिया जाता था। अन्त में वित्त मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर आकर मामला रुक गया जिसमें कहा गया था कि यदि किसी सदस्य को क्षतिपूर्ति के रूप में २० रुपया प्रतिदिन मिलता है तो वह पद उस सदस्य के लिए लाभ का पद नहीं माना जायगा। किन्तु उस समय ऐसी आशा थी कि शीघ्र ही संसद् कोई विधान पारित कर देगी और तब सुसंगत विधेयक जारी किया जायगा।

संविधान में बहुत से ऐसे मामले हैं जो इस आधार पर ज्यों के त्यों छोड़ दिये गये कि उनके सम्बन्ध में सुसंगत विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे और उनके बारे में अन्तिम रूप से कुछ तै हो जायगा। उदाहरण के लिए

कार्य सम्बन्धी नियमों ही को ले लीजिये । मेरे विचार में प्रारम्भिक नियम बिल्कुल ठीक थे और उनको बनाना अथवा उनकी घोषणा करना बिल्कुल ठीक था । यदि बाद को कोई परिवर्तन हुआ है तो उस पर सदन की स्वीकृति हो जानी चाहिये । मेरा निवेदन है कि संविधान में जिनके बारे में यह आश्वासन दिया है कि संसद् द्वारा उनके सम्बन्ध में सुसंगत विधान पारित किये जायेंगे उनकी सूची विधि मंत्रालय को बना लेनी चाहिये और उनके बारे में कार्यवाही करनी चाहिये । हर छठे महीने विधेयक प्रस्तुत करने में क्या तुक है ?

यह अधिनियम गत वर्ष ही पारित किया गया था, अब छः महीने के लिये अवधि बढ़ाने की आज्ञा मांगी जा रही है । मै इस बात के लिए तैयार हूं कि इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया जाय किन्तु उसके अन्त में अन्तिम रूप से कुछ तो तै हो जाना चाहिये ।

मेरा निवेदन है कि इसके बारे में विरोधी पक्ष के अधिक से अधिक सदस्यों की सहमति सरकार प्राप्त करे क्योंकि यह मामला किसी एक दल विशेष का नहीं है । हमें चाहिये कि हम कोई बीच का रास्ता अपनायें और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि सरकार गैर सरकारी तौर पर तथा अनौपचारिक रूप से सभी सदस्यों की सम्मति ज्ञात करे और एक ऐसा विधान प्रस्तुत करे जो जल्दी ही स्वीकार किया जाकर सदन द्वारा पारित हो सके । यह कार्य जो चार वर्ष से का हुआ है अन्तिम रूप से निश्चित हो जाना चाहिये तथा कोई न कोई प्रथा बन जानी चाहिये ।

श्री बिस्वास : इन सुझावों को निस्संदेह ध्यान में रखा जायगा किन्तु मुझे कुछ आरोपों का उत्तर देना है जो सरकार तथा विधि मंत्री के ऊपर व्यक्तिगत रूप मे लगाये गये हैं ।

सर्वप्रथम अपने उपस्थित माननीय मित्रों के लाभ के लिये कुछ बातों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । 'लाभ के पद' की परिभाषा करने में संसद् के अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है । इस अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, यह एक दूसरा प्रश्न है । इसका निर्णय तो तभी हो सकता है जब ऐसे किसी मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाय यदि अनुच्छेद १०३ के अन्तर्गत कोई प्रश्न उठाया जाता है—यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई सदस्य किसी अनर्हता के अन्दर आता है, तो राष्ट्रपति के निर्णय के लिये उसका निर्देश किया जायगा और राष्ट्रपति उस मामले का निर्देश निर्वाचन आयोग आदि को करेगा । राज्यों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है । इसी उपबन्ध के अनुसार विन्ध्य प्रदेश के सदस्यों का मामला उत्पन्न हुआ था । अतः यही प्रक्रिया रखी गई है । संसद् का यह कार्य नहीं कि वह यह बताये कि लाभ के पद का यह अर्थ है । इस प्रकार संसद् का उत्तरदायित्व सीमित कर दिया गया है । संविधान यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नियुक्त है, तो वह अनर्ह समझा जायगा । साथ ही संसद् को विधि द्वारा यह घोषित करने का अधिकार दिया गया है कि कुछ पद अनर्ह नहीं होंगे । यदि माननीय सदस्य १९५४ के अधिनियम संख्या १ की भाषा देखें तो उन्हें पता लगेगा कि अस्थायी हो अथवा स्थायी किन्तु छूट दी गई है, और हमने 'लाभ के पद' शब्दों का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है : हमने यह कभी भी नहीं कहा कि यह लाभ का पद है अथवा नहीं । हमने खण्ड ३ में कहा है कि जहां स्थायी छूट दी गई है, निम्न पद अनर्ह नहीं होंगे । चाहे वह लाभ का पद हो अथवा नहीं, यह विवादास्पद प्रश्न है, जिस पर संसद् से सम्मति देने के लिये नहीं कहा गया था. . . .

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह सदन अनर्हता को दूर करने वाला कोई ऐसा अधिनियम बिना इस बात का अधिनिर्णय किये कि कोई पद लाभ का पद है अथवा नहीं, पारित कर सकता है ? ऐसा विधान बनाने से क्या लाभ होगा ?

श्री बिस्वास : मेरे मित्र वकील हैं । उनके लिये तो संविधान में प्रयुक्त भाषा को बताना ही अधिक उपयुक्त होगा । संविधान बताता है : "कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

यदि वह ऐसे पद को छोड़कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है ।"

संविधान यह नहीं कहता—"संसद् से विधि द्वारा घोषित किया गया लाभ का पद ।" ये शब्द जान-बूझ कर प्रयोग किये गये थे । इस प्रश्न पर विचार किये बिना कि यह लाभ का पद है अथवा नहीं, संसद् किसी भी पद विशेष के धारण करने को अनर्ह नहीं घोषित कर सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे: यदि यह लाभ का पद नहीं होगा, तो अनर्हता का प्रश्न ही कहां रह जाता है और ऐसी अवस्था में यह प्रश्न बिल्कुल उठेगा ही नहीं ।

श्री बिस्वास : इसमें मैं आपसे असहमत हूं, क्योंकि आप यह नहीं निश्चय कर सकते कि यह लाभ का पद है अथवा नहीं । अतः मैं कहता हूं कि जब संसद् ढीलाई के साथ एक विधि बना रही है, तो अपने कार्य के पथप्रदर्शन पर विचार करने का कार्य स्वयं संसद् का होगा कि कोई पद विशेष लाभ का पद है अथवा नहीं । इस बात को ध्यान में रखा जायगा । मंत्रालय अथवा सरकार कभी भी अविधिक चीज़ को विधिक बनाने का किंचितमात्र भी प्रयास नहीं करेगी । यह उत्तरदायित्व संसद् का उत्तरदायित्व है । यदि संसद् यह समझती है कि किसी पद विशेष का धारण करने वाला अनर्ह होना चाहिये, तो उसमें छूट देने वाले सरकार के किसी भी सुझाव को वह स्वीकार नहीं करेगी । इस प्रकार की कोई बात नहीं मानेगी । वह इस पद को लाभ का पद समझ सकती है और इसीलिये इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकेगा । इसमें हमें लाभ के पद की परिभाषा देने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । यह संसद् ही निश्चित करेगी कि किसी पद विशेष के सम्बन्ध में किस प्रकार उसको कार्य करना चाहिये । चाहे वह उस पद विशेष को ऐसा पद घोषित करती है जिससे वह अनर्ह समझा जायगा अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं विधि मंत्री से पूछ सकता हूं कि अनुच्छेद १०२ (क) के अन्तर्गत साधारण शब्दों में यह घोषणा की जा सकती है कि वे पद कौन से हैं जिनके धारण करने वाले अनर्ह नहीं होते अथवा क्या इस उप-खण्ड के अधीन व्यक्तिगत पदों को लेना आवश्यक है और यह कहना भी आवश्यक है कि इस पद का धारण करने वाला अनर्ह नहीं होगा ?

श्री बिस्वास : मैं उसी बात तक आ रहा था । यथार्थतः यदि उन विभिन्न लाभ के पदों की विशिष्ट गणना कर दी जाय जिनके धारण करने वाले अनर्ह नहीं समझे जायेंगे, तो बड़ा अच्छा होता । इसमें कोई भी सन्देह नहीं है किन्तु इसका अर्थ होगा पदों की चिन्ता करना । ये पद ऐसे पद नहीं हैं जो संविधि द्वारा चलाये गये हों । जहां तक संविहित समितियों का सम्बन्ध है, उनकी विस्तृत सूची तैयार करना सम्भव है । भविष्य की संविधियों की

व्यवस्था भी उनको लागू करने पर की जा सकती है किन्तु समितियां, जो असंविहित प्रकार की हैं, उनकी विस्तृत सूची तैयार करना अत्यन्त कठिन है । फिर भी यदि संसद् ऐसे मामलों में छूट देना उचित समझती है, तो प्रश्न यह है कि प्रत्येक वैयक्तिक मामले को निबटाने के बजाय हम एक सूत्र ही क्यों न बना लें । जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जब वर्तमान अधिनियम सदन के सम्मुख था, हमने कानूनी राय तथा अन्य देशों की प्रथा पर विचार कर यह सोचा था कि हम भी इसी प्रकार का एक सूत्र बना लें कि यदि यह एक मन्त्रणा समिति है, अर्थात् जो केवल मन्त्रणा सम्बन्धी कार्य करती है, अथवा इसकी नियुक्ति केवल सूचना एकत्रित करने के लिये ही की गई है, एक प्रकार की तथ्य-निर्धारण समिति, ऐसी समितियों का सदस्य होना अनर्हता नहीं समझी जायगी । यदि हम अनुभव से यह देखते हैं कि जिस सूत्र का प्रयोग हमने किया है, उससे सभी प्रकार का विवाद और भी बढ़ता है, तो हमें स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा । ठीक इसी कारण कि इस स्थिति में, आगे क्या कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है, सरकार इस पर सोचने विचारने में समय लगा रही है, जो अधिनियम के लागू होने से पिछले चार मास से उत्पन्न हो गई है ।

श्री गाडगील : अगले वर्ष की ३१ मार्च ।

श्री बिस्वास : कुछ समय सीमा लगा देना आवश्यक है और मैंने पहले इसको अक्तूबर १९५४ रखा था । बाद को मैंने सोचा कि इससे पूर्व जांच समाप्त कर देना सम्भव हो सकता है कि न हो, अतः अग्रेतर समय बढ़ाने के लिये संसद् तक लाने का झंझट बचाने के लिये, मैंने इस तिथि को "वर्ष के अन्त तक" बढ़ा दिया है । यदि इस काल से पूर्व जांच पूरी करना सम्भव हो सका, तो विधेयक को पहले ही रखने में सरकार को कोई रोक नहीं सकता है । (**अन्तर्बाधा**)

श्री रघुरामय्या : श्री शाह ने कुछ मिनट पूर्व कहा था कि सरकार की नीति असंविहित समितियों को अधिनियम के क्षेत्र से बिल्कुल ही निकाल देने की है । मैं विधि मंत्री से स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा ।

श्री बिस्वास : वर्तमान नीति अधिनियम में ही दी हुई है और यदि मेरे माननीय मित्र अधिनियम की धारा ४ देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि अधिनियम कुछ अस्थायी छूटें देता है, जो दो प्रकार की हैं । प्रथम खण्ड मंत्रणा समितियों के अतिरिक्त समितियों के सम्बन्ध में तथा द्वितीय खण्ड संविधिक समितियों के विषय में है । संविहित समितियों की विस्तृत सूची एकत्रित करना बहुत कठिन कार्य नहीं है । विधेयक पर विचार होते समय मैंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि यदि संविहित समितियों की सदस्यता से अनर्हता नहीं होती, तो छूट का खण्ड संविधि में मिला दिया जाना चाहिये । छूट का खण्ड अलग करने के बजाय संविधि का एक अंग होना चाहिये । इसीलिये मैंने सभी मंत्रालयों में यह परिचालित करवा दिया था कि वे मुझे बता दें कि किन-किन संविधि समितियों में संसद् के सदस्य नियुक्त किये गये हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : किन्तु वे आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं ?

श्री बिस्वास : मुझे सूचना मिली है कि कुछ मामले सन्देहजनक हैं और उन्होंने बताया है कि इन पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है, और सम्भव है कि कुछ समितियां छूट भी गई हों । तत्पश्चात् आप देखेंगे कि अनर्हता केवल केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित की गई समिति की सदस्यता के कारण ही नहीं हो जाती । यदि किसी राज्य में इसी प्रकार का अधिनियम है, और समिति उसी संविधि के अधीन है तथा संसद् का सदस्य उसमें नियुक्त क

जाता है, तो वह भी इसी प्रकार अनर्हता हो जायेगी। हमको यह स्मरण हो आया कि हमें विभिन्न राज्यों से सूचना प्राप्त करनी चाहिये कि क्या संविधि अथवा विभाग की ओर से उनके द्वारा बनाई गई किसी समिति में संसद् के कोई सदस्य सम्मिलित किये गये हैं। यह सभी सूचना एकत्रित करनी है और इसी लिये अधिक समय की आवश्यकता है। यह आवश्यक रूप से नीति पर पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं होगा। जिन लोगों पर संविधान के द्वारा प्रतिबन्ध लगा है, उनको छोड़ देना वर्तमान नीति नहीं है किन्तु यह विशेष मामलों में संसद् द्वारा छूट दे देने के अधिकार के अधीन है। इन सब कारणोंवश इसमें समय लगेगा, और मैं अपने मित्रों को आश्वासन दिला सकता हूं कि सरकार किसी भी गैर कानूनी चीज़ को कानूनी बनाने का प्रयत्न नहीं कर सकती है। इस प्रकार के किसी भी आरोप का मैं अपनी समस्त शक्ति के साथ खण्डन करता हूं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मामले का उदाहरण देने में क्या कठिनाई है ?

श्री बिस्वास : आजकल के प्रारूपण का यह सामान्त तरीका नहीं है। उदाहरण देने का तरीका पहले था, उदाहरणस्वरूप, भारतीय दण्ड विधान में वह देखने को मिलेगा, किन्तु वर्तमान संविधि में आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत दिनों से समाप्त कर दिया गया है। विधेयक में इन सभी मामलों को देने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में माननीय सदस्य सदन से बाहर जाकर मंत्री से बात कर सकते हैं।

श्री बिस्वास : निश्चय ही मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि इस सम्बन्ध में संसद के सदस्यों की राय ले लूं किन्तु जैसा कि आपने कहा है, मैं पूर्णतः उसे नहीं समझ सका हूं। यदि कोई सदस्य मुझे सुझाव देगा, तो मैं निस्सन्देह ही उन पर ध्यान दूंगा।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): उन लोगों का क्या होगा जो संसद् के सदस्य हैं और इसके साथ ही राज्य सरकारों द्वारा उनका विभिन्न समितियों में नाम निदर्शन भी हो चुका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सबका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। प्रश्न यह है कि :

"अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) अधिनियम १९५३ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १ और २, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ और २ नाम तथा अधिनियमन सूत्र, विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बिस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समवाय विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवायों तथा कुछ अन्य संस्थाओं सम्बन्धी विधि का एकीकरण तथा संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ४९ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा

जाये जिसमें इस सदन के ३३ सदस्य अर्थात् श्री हरि विनायक पाटसकर, श्री चिमनलाल, चाकूभाई शाह, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री वी० बी० गांधी, श्री खण्डूभाई कासनजी देसाई, श्री देवकान्त बरुआ, श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, श्री आर० वेंकटारमन, श्री घमंडी लाल बंसल, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री बी० आर० भगत, श्री नित्यानन्द कानूनगो, श्री पूर्णेन्दु शेखर नस्कर, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम चेट्टियार, श्री के० टी० अच्युतन, श्री कोठा रघुरामय्या, पंडित चतुर नारायण मालवीय, डा० शौकतुल्लाशाह अंसारी, श्री टी० सुब्रह्मण्यम, कर्नल बी० एच० जैदी, श्री मूलचन्द दुबे, पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय, श्री राधेलाल व्यास, श्री अजीत सिंह, श्री कमल कुमार बसु, श्री सी० आर० चौधरी, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री अमजद अली, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री जी० डी० सोमानी, श्री त्रिदीवकुमार चौधरी तथा प्रस्तावक और परिषद् के १६ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठन के लिए संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या को गणपूर्ति समझा जायेगा;

कि समिति इस सदन को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी;

कि अन्य विषयों में इस सदन के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम लागू होंगे किन्तु उनमें अध्यक्ष की इच्छानुसार परिवर्तन तथा रूप भेद किया जा सकेगा;

कि यह सदन परिषद् से यह सिफ़ारिश करता है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और परिषद् द्वारा इस संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सदन के पास भेज दे।'

माननीय सदस्यों को याद होगा कि यह विधेयक २ सितम्बर १९५३ को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था और यह १९४९ के अन्त से किसी न किसी रूप में लोगों के सामने रहा है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में संक्षिप्त रूप से यह बतलाया गया है कि १९४६ से यह विधेयक किन-किन अवस्थाओं से गुज़रा है और मैं इस अवसर पर यहां उन परिस्थितियों को दुहराना आवश्यक नहीं समझता जिनमें उस समय की भारत सरकार ने १९४६ के आरम्भ में हमारी कम्पनी विधि के सुधार के लिए एक जांच शुरू करने का निर्णय किया था।

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि १९४६ और १९४८ के बीच दो प्रख्यात कम्पनी वकीलों ने, जिन्हें वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने के हेतु सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था, कम्पनी विधि के सारे विषय का सावधानी से पुनरीक्षण किया था। उनकी सिफारिशों की उस समय के वाणिज्य मंत्रालय ने जांच की थी और विभाग के विचार एक व्यापक ज्ञापन में सब अभिज्ञात व्यापारिक तथा औद्योगिक सन्थाओं, विधिजीवी सन्थाओं, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों में परिचालित किये गये थे, यह १९४९ के अन्त तक हुआ।

इस ज्ञापन के सम्बन्ध में वाणिज्य मंडलों, व्यापारिक तथा औद्योगिक सन्थाओं, राज्य सरकारों और जनता से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। १९५० से अन्त में भारत सरकार ने श्री सी० एन० भाभा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी, जिसे इस देश में व्यापार और उद्योग के विकास को विशेष रूप से ध्यान में रख कर, कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के सारे प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस समिति ने देश के विभिन्न भागों में बहुत से साक्षियों का साक्ष्य लिया और मार्च १९५२ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । यह रिपोर्ट फिर सब राज्य सरकारों, व्यापार-मंडलों, व्यापार संथाओं, उच्च न्यायालयों और बहुत से अन्य निकायों में परिचालित की गई थी । साथ ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में एक विशेष पदाधिकारी इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था कि वह रुचि लेने वाले लोगों से प्राप्त रायों को ध्यान में रख कर इस रिपोर्ट की जांच करे और वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।

अब जो विधेयक सदन के सामने है वह अधिकांशतया कम्पनी विधि समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित है, जिनमें कुछ विषयों के सम्बन्ध में उन व्यापारिक तथा औद्योगिक सन्थाओं की, जिनमें यह रिपोर्ट परिचालित की गई थी, आलोचनाओं के कारण रूप भेद कर दिया गया था । माननीय सदस्य यह देखेंगे कि जहां तक जन सम्पर्क का सम्बन्ध है, इस विधेयक के द्वारा काफ़ी प्रगति हुई है । तथापि समवाय विधेयक जैसे विधेयक के बारे में जिसके अन्तर्गत संयुक्त स्कंध समवायों के संचालन का सारा क्षेत्र आ जाता है, परामर्श और चर्चा की कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती । मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगा कि यद्यपि यह विधेयक सात मास से भी पहले संसद् में पुरः स्थापित किया गया था, हमारे पदाधिकारी इस अवधि में लगातार इस के सम्बन्ध में अग्रेतर अध्ययन करते रहे हैं और सम्बन्धित हितों के साथ अनौपचारिक चर्चा करते रहे हैं । कुछ अवसरों पर मैंने भी इन चर्चाओं में भाग लिया है। मैंने इस विधेयक से उत्पन्न होने वाली कुछ और बातों पर भी विचार किया है और इस अग्रेतर जांच के फलस्वरूप इसके उपबन्धों में जो परिवर्तन मुझे वांछनीय प्रतीत होते हैं, मैं उन्हें उचित अवस्था पर प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत करूंगा ।

माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इस विधेयक में ६१२ खंड और १२ अनुसूचियां हैं । मेरे विचार में यह हाल के विधायिनी इतिहास के अत्यधिक लम्बे विधेकों में से एक है । किन्तु इसके आकार से उत्पन्न होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए मैं कुछ टिप्पणी करूंगा । यह याद रखना चाहिए कि यह विधेयक एक इकट्ठा करने वाला और संशोधक विधेयक है । १९१३ के बाद, इस समवाय अधिनियम को इकट्ठा करने का यह पहला अवसर है । इस लिए इस अवसर का इस अधिनियम का विस्तृत रूप से पुनः प्रारूपण करने के लिए लाभ उठाया गया है । इस नये प्रारूप में वर्तमान अधिनियम की बहुत सी लम्बी और पेचीदा धाराओं को बहुत से छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है । विधेयक के खंडों की संख्या बढ़ जाने का सबसे बड़ा कारण यही है ।

विधेयक की बनावट के सम्बन्ध में जो परिवर्तन किये गये हैं, मैं उनकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । विधेयक का नया प्रारूप बनाने और कम्पनी विधेयक के वर्तमान अध्यायों को नये सिरे से लिखने से विधेयक के रूप में काफ़ी सुधार हुआ है । मैं आशा करता हूं कि इससे भावी भारतीय कम्पनी अधिनियम को समझने में सुविधा होगी ।

अब मैं इस विधेयक के कुछ मुख्य पहलुओं के सम्बन्ध में, कुछ कहना चाहूंगा । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह आशा नहीं करते कि मैं अपने भाषण के दौरान में

उन सब मुख्य परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण दूं, जो कि हमने इस विधेयक में किये हैं। यदि मैं ऐसा कर भी सकूं, तो भी इससे कोई लाभ नहीं होगा।

विधेयक के विस्तृत उपबन्धों पर प्रवर समिति विचार करेगी और ऐसी समिति ही इनकी बारी की और सावधानी से जांच कर सकती है। तथापि मुझे आशा है कि मैं कल तक एक सूची परिचालित कर सकूंगा जिसमें मुख्य परिवर्तन बतलाये गये होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि वह प्रवर समिति को कुछ सुझाव देंगे, जिन्हें विधेयक में सम्मिलित कर लिया जायेगा। यदि वह इन्हें भी परिचालित कर सकें, तो यह अन्य माननीय सदस्यों के लिए, जो प्रवर समिति में नहीं हैं, उपयोगी होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : जो सुझाव मुझे प्राप्त हुए हैं, मैंने उन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया। मैं अभी कुछ विषयों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहा हूं। सम्भव है कुछ समय बाद मैं ऐसा कर सकूंगा। अभी मैंने केवल थोड़े से सम्बन्धित हितों की राय सुनी है।

मुझे आशा है कि यदि माननीय सदस्यों को वाद विवाद में अपनी बातें करने के लिए मेरे भाषण से कुछ सहायता मिल सकती हो, तो मैं, अपने भाषण की एक प्रति भी बांट दूंगा। अब मेरा इस विधेयक के मुख्य उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ मूल सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण का विचार है। यह परिवर्तन कम्पनी विधि के निम्नलिखित पहलुओं के सम्बन्ध में किये गये हैं :

(क) कम्पनी की उन्नति, निर्माण तथा कम्पनियों का पूंजी सम्बन्धी ढांचा;

(ख) कम्पनी की बैठकें तथा कार्यवाही;

(ग) कम्पनी के लेखों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) कम्पनी के मामलों का निरीक्षण तथा उनकी जांच;

(ङ) संचालक मंडल का निर्माण तथा संचालकों की शक्तियां और कर्तव्य;

(च) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की शर्तें, उनकी शक्तियां और उन के कर्तव्य।

कम्पनियों की उन्नति तथा निर्माण के सम्बन्ध में इस विधेयक के उपबन्धों में प्रास्पैक्टस, अंशों के आवंटन, कम्पनी को जारी करने की शर्तें और कम्पनियों के अंश की रचना के विषय में काफी परिवर्तन किये गये हैं। प्रास्पैक्टस के सम्बन्ध में जो मुख्य परिवर्तन किये गये हैं, वे विधेयक की अनुसूची २ के साथ पढ़ने पर खंड ५० से ५६ तक में दिये हुए हैं। यह अनुसूची समवाय अधिनियम की वर्तमान धारा ६३ के स्थान पर रखी गई है और इसमें कम्पनी के प्रास्पैक्टस में भविष्य में जिन विशेष बातों को बताना पड़ेगा उनकी संख्या काफी बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए विधेयक के अनुसार अब यह आवश्यक है कि जनता को दिये गये प्रास्पैक्टस में विशेषज्ञों के विचारों को पुनः छापने से पूर्व उनकी स्वीकृति ले ली जाय और जिन कम्पनियों का प्रबन्ध प्रबन्ध-अभिकर्ता करते हों उनके प्रबन्ध अभिकरण की प्रदत्त पूंजी भी बता दी जाये।

इसी प्रकार कम्पनी की उन्नति करने वाला कम्पनी की ओर से जो संविदा करे या जिन संविदाओं को उसका करने का विचार हो, उन सब महत्पूर्ण संविदाओं को उसे बताना पड़ेगा।

अंशों के आवंटन के सम्बन्ध में नये उपबन्ध जारी करने की मंडी की व्यवस्था

[श्री सी० डी० देशमुख]

में सुधार करने के लिए बनाये गये हैं इसमें अंशों के आवंटन के लिये प्रार्थनापत्र देने तथा नई पूंजी के लगाने वालों और इनकी प्रतिभूति देने वालों को दिये जाने वाले कमीशन को विनियमित करने के सम्बन्ध में तरीके और उसका ढंग बताया हुआ है। समवाय रचना से सम्बन्धित सामान्य शीर्षक के अधीन इन सब उपबंधों का प्रभाव निदेशकों और समवाय की सम्वृद्धि से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों पर आज से अधिक सतर्कता की भावना स्थापित करना है। इसके साथ ही यह नियोजकों को नवीन विषय के आतंरिक मूल्य को अधिक अच्छे ढंग से मूल्यांकन करने की स्थिति में रखना है। मेरे लिये यह बताना आवश्यक नहीं है कि उक्त उपबंधों के परोक्ष में प्रकटीकरण का सिद्धान्त आशावान नियोजकों के हितों का समुचित संरक्षण अथवा समवाय के उचित संचालन की आश्वस्ति देता है अथवा नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह बात मानेंगे कि सारभूत जानकारी का कटीकरण इस दिशा में पहला कदम है और किसी भी प्रकार से उसे निजी उद्योग अथवा उसके संवर्द्धकों पर अनुचित बोझ थोपने वाला नहीं कहा जा सकता।

दूसरे विषय से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन अर्थात् समवाय की पूंजी का खाका विधेयक के खण्ड ७९ और ८२ में दिया गया है। उसमें उपबन्ध है कि भविष्य में समवायों की अंश पूंजी दो प्रकार की अर्थात् अंश पूंजी और अधिमान्य पूंजी होना चाहिये और मत देने का अधिकार केवल प्रथम प्रकार की पूंजी रखने वालों को दिया जाना चाहिये। अनुपात की दृष्टि से अत्यधिक मतदान अधिकार भी समाप्त कर दिये जायेंगे।

इस के बाद हम कम्पनी की बैठकों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी उपबन्धों पर आते हैं। ये १५८ से १८९ तक के खंडों में दिये हुए हैं। इन में यह दिया हुआ है कि भविष्य में महा सभा किस स्थान पर, किस समय तथा किस प्रकार से आयोजित की जायगी। इस सदन के जो सदस्य वकील हैं वह इस बात को जानते हैं कि वर्तमान समवाय विधि में इस बात के कारण बहुत अधिक मुकदमे बाज़ी होती है। इस विधेयक के उपबन्धों में वर्तमान अस्पष्टताओं को दूर करने तथा कम्पनियों, प्रबन्धकारियों तथा अंशधारियों के बीच समानता बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है और कम्पनी की बैठकों में मतदान अधिकार के प्रयोग करने के सम्बन्ध में भी अस्पष्टता दूर की गई है।

इस में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। एक तो असाधारण संकल्पों को समाप्त करता है तथा महासभा की बैठक के लिये पूर्व सूचना देने की चौदह दिन की अवधि को बढ़ाकर इक्कीस दिन कर दिया गया है। भविष्य में कम्पनी संकल्प सामान्य या विशेष संकल्प होंगे।

अब हम कम्पनी के लेखा तथा लेखा परीक्षा पर आते हैं। इस विषय के तथा लेखा परीक्षकों की स्थिति के सम्बन्ध में उपबन्ध खण्ड १९५ से २१८ तक के खण्डों में हैं। इस में कम्पनियों की स्थिति स्पष्ट करने का सिद्धान्त दिया हुआ है जिस के अनुसार कम्पनियों को सन्तुलन पत्र, लाभ तथा हानि सम्बन्धी लेखों के बारे में वह अतिरिक्त सूचना देना अपेक्षित है जिस से कम्पनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति तथा इस के कार्यों का पता लग सके। हमारे कानून के अनुसार सन्तुलन पत्र का एक निश्चित फॉर्म होता है। सन्तुलन पत्र का परिवर्तित फॉर्म अनुसूची ६ के भाग १ में दिया हुआ है और लाभ तथा हानि के लेखे के बारे में विस्तृत बातें उस अनुसूची के भाग २ में दी हुई हैं। इस विषय पर समवाय विधि समिति

की सिफारिशें अधिकतर इसे लेखा व्यवसाय से प्राप्त परामर्श पर आधारित हैं। यथा समय पर हम प्रवर समिति के समक्ष एक या दो बातों पर अपने विचार रखेंगे जिन के स्वीकार कर लिये जाने से इस विधेयक के उपबन्धों में कुछ छोटे से परिवर्तन करने पड़ेंगे। इस विषय में हमें लेखा व्यवसाय से जो सहायता मिली है उस के लिये मैं उन की सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि इन से संयुक्त स्कन्ध समवाय द्वारा अच्छी वित्तीय प्रथाओं का विकास किया जायगा और इन से भविष्य में कम्पनी लेखों की परीक्षा उच्चतर स्तर पर की जा सकेगी।

इस के बाद खण्ड २०९ से २१८ तक के खण्ड आते हैं जिन में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, अर्हता, कृत्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। ये उपबन्ध इसलिये हैं कि लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से तथा न्यायनिष्ठा पूर्वक काम कर सकें। लेखा परीक्षकों में व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिये और उन्हें निष्पक्षतापूर्वक स्वतंत्र रूप से काम करने में समर्थ होना चाहिये। इस विधेयक के उपबन्धों का उद्देश्य ऐसी दशायें उत्पन्न करना है जिन के अन्तर्गत लेखा परीक्षक बिना किसी भय या पक्षपात के अपने संविहित कृत्य कर सकेंगे।

अब मैं कम्पनियों के कार्यों के निरीक्षण तथा जांच पड़ताल करने के प्रश्न पर आता हूं। वर्तमान समवाय विधि के इसी पहलू की सब से अधिक आलोचना हुई है। खण्ड २१९ से खण्ड २३० तक के खण्डों के अनुसार कम्पनियों के कार्यों की जांच पड़ताल करने के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा अंशधारियों के अधिकार बढ़ जायेंगे। खण्ड ३६७ से ३७७ तक के खण्डों में कुप्रबन्ध के मामलों में न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सहायता का उल्लेख है और इन में इंग्लैण्ड के समवाय अधिनियम १९४८, की धारा २१० के समनुरूप नये सिद्धान्त रखे गये हैं। भारतीय समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९५१, में इन खण्डों के उपबन्धों का आभास था। इन नये खण्डों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में जांच पड़ताल कर सकती है और जब कम्पनी इस के सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करे तो न्यायालय से इस का प्रतिसमाधान भी करा सकती है। अंशधारियों द्वारा जांच करवाने या न्यायालय से सहायता लेने के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई है।

खण्ड २३१ से २३४ तक के खण्डों में कुछ परिस्थितियों में कम्पनी के अंशों के स्वामित्व की जांच करने के अधिकार दिये हुए हैं। इन के अनुसार निरीक्षक (इंस्पैक्टर) सम्बन्धित प्रबन्ध अभिकरण फर्मों या कम्पनियों तथा उन्हीं प्रबन्ध अभिकर्ताओं के प्रबन्ध के अन्तर्गत कम्पनियों से भी आवश्यक सूचना मांग सकता है। कुछ हाल के मामलों से यह पता चला कि निरीक्षकों को अधिक अधिकार दिये जाने चाहियें।

खण्ड २३६ से ३०६ तक के खण्डों में कुछ बातों की व्यवस्था है, उन में से पहिली तो स्वतंत्र संचालक बोर्ड की रचना है जिस में प्रबन्धकों तथा अंशधारियों के प्रतिनिधि होंगे और उस में प्रबन्धकों का अंशधारियों पर कोई प्राबल्य नहीं होगा। दूसरी बात उस में कुछ सक्रिय व्यक्तियों के, जो कि कम्पनी के काम के लिये पर्याप्त समय दे सकते हैं, संचालकों के रूप में चुने जाने के सम्बन्ध में हैं। तीसरी बात संचालकों द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर जहां कम्पनी का प्रबन्ध इन के ही हाथों में हो नियंत्रण रखने के बारे में है तथा चौथी बात संचालकों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग किये जाने को रोकने के बारे में है।

गत अनुभव से यह मालूम हुआ है कि ऋण देने, ठेके करने, सम्पत्ति को बेचने, पट्टे पर देने तथा ऋण के पुनर्भुगतान करने की

[श्री सी० डी० देशमुख]

तारीख में वृद्धि करने तथा कम्पनी की ओर से ऋण लेने के अधिकारों पर कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिये । इन उपबन्धों से बड़ा वाद-विवाद उत्पन्न हो गया है और प्रबन्धकों का यह कहना है कि अन्ततोगत्वा ये कम्पनियों के हितों के प्रतिकूल सिद्ध होंगे । मैं प्रवर समिति की सिफारिशों का पहिले से ही अनुमान नहीं लगाना चाहता । हम ईमानदारी से किये जाने वाले व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते । हम तो अधिकार के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं और हम कम्पनियों के व्यवस्थित तथा ईमानदारी से किये जाने वाले प्रबन्ध में रुकावट नहीं डालना चाहते । मैं इस मामले पर किये जाने वाले अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए तय्यार हूं । मैं चाहता हूं कि इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय और मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस पर पूर्ण रूप से विचार करेगी ।

इस चालू वाद विवाद में दो उपबन्धों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है । इन में से एक खण्ड २५८ है जिस का सम्बन्ध संचालकों की आयु सीमा से है तथा दूसरा खण्ड २५३ है जो इस सम्बन्ध में है कि कोई व्यक्ति कितनी कम्पनियों में संचालक बन सकता है । खण्ड २५८ इस विषय में इंग्लैण्ड के कानून के समान है । कोई व्यक्ति २० कम्पनियों का संचालक हो सकता है; ऐसा इसलिये किया गया है कि ये संचालक कम्पनी के कामों में अधिक ध्यान दे सकें । समवाय विधि समिति की रिपोर्ट में ये सब पहलू पूरी तरह से दिये हुए हैं । यह प्रवर समिति का काम होगा कि वह सदन द्वारा सुझाव दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए इन पर यथा समय में उचित विचार करे और अपने सुझाव दे ।

विधेयक के खण्ड ३०७ से ३५९ तक के खण्डों में संचालकों के मुकाबले में प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति की शर्तें, उन के पारिश्रमिक, अधिकार तथा उधार लेने, ऋण लेने, ठेके करने तथा क्रय करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अधिकार और कृत्य दिये हुए हैं । इस प्रस्तावित सुधार का अभिप्राय इन मामलों पर प्रबन्ध अभिकर्ताओं को दिये गये अधिकारों का, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ होने के बाद से उत्पन्न दुरुपयोग को रोकना है । सरकार समवाय विधि समिति की इस राय से सहमत है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध अभिकरण कुछ समय तक लाभकारी रहेगा और इस प्रणाली में जो बुराई घुस आई हैं उन्हें दूर कर देने से यह गैर सरकारी उपक्रमों से लाभ उठाने के मामले में प्रभावी साधन होगा । यह विचार इतिहास तथा परम्परा पर ही आधारित नहीं है अपितु हमारे व्यापार तथा उद्योग के वर्तमान ढांचे के निरपेक्ष विश्लेषण पर आधारित है तथा समवाय विनियोजन तथा समवाय वित्त से जिन का परस्पर बड़ा गहरा सम्बन्ध है, जो कमियां हैं उन को दूर करने में समय लगेगा । इसलिये इस प्रणाली में से इन बुराइयों को शीघ्र दूर करना आवश्यक है जिस से कि भविष्य में यह गैर सरकारी उद्योग के विकास में अपना कार्य कर सके । सदन के सामने इन के विनियम तथा नियंत्रण और ईमानदार अभिकर्ताओं की अगुआई के बीच सन्तुलन बनाये रखने की समस्या है । यहां सब बातों के विस्तार में नहीं जाया जा सकता । किन्तु इस विधेयक के इस शीर्ष के अन्तर्गत जो उपबन्ध हैं उन में उचित सामंजस्य है ।

अब मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि भविष्य में समवाय अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में हम ने क्या सोच रखा है ।

समवाय सम्बन्धी विधान के एक विशेषज्ञ के कथनानुसार समवाय विधान की आधुनिक

प्रणाली को संतोषजनक ढंग से चलाने के लिए सुदृढ़ तथा सक्षम असैनिक सेवा की आवश्यकता होती है। इस के लिए कार्यपालिका को प्रभावपूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिएं और जो संगठन इस अधिनियम की कार्यान्विति के लिए उत्तरदायी है उसे भी पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिएं। मैं इन विचारों से सहमत हूं और इसलिए इस प्रकार के प्रशासनिक संगठन की रचना के महत्व को भली प्रकार से समझता हूं। समवाय विधेयक में इस विषय पर कोई विशेष उपबन्ध नहीं है किन्तु खंड ५६८ में ऐसा उपबन्धित है कि केन्द्रीय सरकार समवायों के रजिस्टर करने के कार्य के लिए रजिस्ट्रार और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। सरकार समवाय विधान समिति की यह सिपारिश पहले ही मान चुकी है कि संयुक्त स्कन्ध समवायों के प्रशासन का उत्तरदायित्व, जो उस ने राज्य सरकारों को सौंप रखा था उसे स्वयं संभाल ले। पुनर्संगठन सम्बन्धी हमारी योजना में यह हमारा प्रथम आवश्यक पग था। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इस बात की व्याख्या की गई कि यद्यपि समवाय विधान समिति ने केन्द्र में, नये अधिनियम के अन्तर्गत, एक संविहित प्राधिकार की स्थापना की सिपारिश की है, जो समवाय विधान को लागू कर सके तथा अन्य सम्बद्ध कृत्यों का निर्वहन कर सके, जैसा कि पूंजी निर्गम नियन्त्रण, श्रेष्ठि चत्वरों का विनियमन, किन्तु जब इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विधान पारित किया गया तो सरकार ने सोचा कि अभी एक ऐसे संगठन की ही रचना होनी चाहिये जो सीधा सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत हो और इसे एक संविहित निकाय बनाने का विचार अभी स्थगित रखा जाये। इस निश्चय के अनुसार आर्थिक मामलों के विभाग के अन्तर्गत एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना कर दी गई है। इस संगठन के व्यापार तथा उद्योग के मुख्य केन्द्रों में प्रादेशिक कार्यालय होंगे जिन के द्वारा वह समवाय अधिनियम की कार्यान्विति का प्रभारी होगा। संयुक्त स्कन्ध समवायों के रजिस्ट्रार इस केन्द्रीय संगठन के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रहेंगे। यह संगठन इस समय बनाया जा रहा है और मुझे आशा है कि जब यह पूर्णतया स्थापित हो जायगा तो इस से प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा।

मैं इस विधेयक द्वारा किये जाने वाले सुधार के बारे में बहुत संक्षिप्त सा वृतान्त आप के सम्मुख रख पाया हूं। इस सुधार के उद्देश्य समवाय विधान समिति की रिपोर्ट के पैरा १६ में दिये हुए हैं। योजना आयोग के शब्दों में, निजी उपक्रम के लिए एक नवीन युग का सूत्रपात हो रहा है, उसे एक नये कर्त्तव्य को संभालना है और देश के महान हितों के समक्ष अनुशासन की एक नई संहिता को स्वीकार करना है।

इस दृष्टि से, समवाय विधि की मूल समस्या इस बात पर विचार करने की है कि संस्थापकों, विनियोगकर्ताओं तथा प्रबन्धकर्ताओं के बीच सुसंगठित सम्पर्क स्थापित करने के लिये संगठित व्यापार के प्रबन्ध के ढांचे तथा ढंगों में सम्भवतः कितना समायोजन किया जा सकता है ताकि निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो :—(१) सुसंगठित व्यापार की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके जो कि स्वीकृत मानों द्वारा मापी जाती है, (२) प्रबन्ध-कुशलता तथा विनियोगकर्ताओं के न्यायसंगत अधिकारों में सामंजस्य स्थापित हो सके, (३) साहूकारों तथा उत्पादन तथा वितरण में अन्य सहभागियों के हितों का यथोचित संरक्षण हो सके, तथा (४) जिस ढंग से इस देश में संगठित व्यापार संस्थाएं काम करती हैं उस से श्रम-सम्पर्कों सहित सामाजिक नीति के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा न पड़कर सहायता मिल सके।

[श्री सी० डी० देशमुख]

माननीय सदस्य इस बात की श्लाघा करेंगे कि विधेयक में सन्निहित मूल समस्या इस प्रकार निजी तथा सामाजिक हितों का सन्तुलन करती है—यह एक ऐसी समस्या है जिसे सुलझाना कभी भी सरल नहीं है, तथा समवाय विधि के मामले में यह और भी कठिन हो गई है । समवायों के संस्थापकों, विनियोगकर्ताओं तथा प्रबन्धकों में वर्षों में बने तथा उलझे हुए सम्बन्धों से यह समस्या कठिन बनी है ।

हितों के इस वर्गीकरण में किसी भी एक पक्ष को ले कर फिर, उस दृष्टि से विधेयक में त्रुटि निकालने का प्रयत्न करना काफी सरल होगा । परन्तु विधेयक पर विचार की इस स्थिति में जब कि हमारा सम्बन्ध इस में सन्निहित मूल सिद्धान्तों से है, मैं यह सुझाव देने का साहस करता हूं कि हमें यह बात सदैव ही ध्यान में रखनी चाहिये कि विधेयक को विस्तृत दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है । कम से कम इस समय हमें किसी भी प्रकार के विवरण को देखते हुए सम्पूर्ण चित्र को नहीं भूल जाना चाहिये । बाद में हमें विधेयक के प्रत्येक खण्ड का विस्तृत अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा । फिर भी मैं अपने माननीय मित्रों को सुझाव दूंगा कि यदि बाद में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि विधेयक में कुछ मामलों में सामाजिक हितों तथा समवाय-प्रबन्ध की सुरक्षा का पर्याप्त उपबन्ध नहीं है, तो वे केवल मेरा ध्यान ही इस ओर आकर्षित न कर सकेंगे अपितु वे यह भी सुझाव दे सकेंगे कि प्रमापों को दूसरी ओर अधिक झुकाये बिना इस में कितना उपबन्ध किया जा सकता था । इसी प्रकार मैं उन माननीय सदस्यों से जिन का दृटिष्कोण भिन्न हो निवेदन करता हूं कि यथोचित समय पर यह कहना ही पर्याप्त न होगा कि विधेयक का कोई उपबन्ध संस्थापकों तथा प्रबन्धकों की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से सीमित करता है । उन्हें यह भी बताना आवश्यक होगा कि इन उपबन्धों में से किस में उचित संशोधन किया जा सकता है ताकि ऐसी स्वतंत्रता हमारी आर्थिक तथा सामाजिक नीति की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाई जा सके ।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि विधेयक के केवल कुछ उपबन्धों की ही नहीं अपितु सारे विधेयक की जांच तथा परीक्षण किया जा सकता है । मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं प्रवर समिति से आशा करता हूं कि वह यथोचित समय हमारा पथप्रदर्शन कर के हमारी सहायता करे । इस के अतिरिक्त, यदि वह उचित समझे तो समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों के विचार जानकर, हमें विशिष्ट रूप से यह बताये कि हम निजी तथा सामाजिक हितों के बीच उत्तम सन्तुलन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं । क्योंकि रचनात्मक नीति का विषय यह निर्धारित करना है कि व्यापार-प्रबन्ध में असामाजिक कारकों को, वैध व्यापार-कार्य की स्वतन्त्रता को अनुचित रूप से सीमित किये बिना, किस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है । मैं यह आशा करने का साहस करता हूं कि हम सब के लिये अपनी अपनी विचारधाराओं को महत्व न दे कर सहमत होना तथा अपने समक्ष उद्देश्य की प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण सहयोग देना सम्भव होगा । कुछ भी हो, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि हम विधेयक की प्रगति को तीव्र बनाने के लिए इस सदन में यथासम्भव कार्यवाही करें ।

विधेयक वह प्रथम व्यापक प्रयत्न है जो दीर्घकालीन जांच पड़तालों तथा कार्यवाहियों के पश्चात्, हमारी आर्थिक व्यवस्था के निजी

क्षेत्र के मौलिक पुनःसंगठन के बारे में किया गया है। भूतकाल में प्रायः हम ने विधान मण्डल में तथा उस के बाहर निजी क्षेत्रों की समाज-विरोधी कार्यवाहियों की शिकायत की है। आलोचकगण इस बात का संकेत करने में पीछे नहीं रहे हैं कि इस का वर्तमान प्रसंगठित रूप इस के लिए कितना कठिन बना देता है कि देश के आर्थिक विकास में अपने कार्य को पूर्ण कर सके। अब जब कि निजी क्षेत्र को पुनःसंगठित करने के लिए यह व्यापक प्रयत्न किया गया है, तो यह इस सदन में हम सब पर निर्भर है कि हम यथासम्भव थोड़े समय में इस प्रयत्न को पूर्ण करने में सहायता दें। मुझे विश्वास है कि मुझे सदन के प्रत्येक भाग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : इस के पूर्व कि आप प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखें क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं दो अन्य व्यक्तियों के नाम, जो योग्य हैं तथा अधिक रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं,—डा० लंका सुन्दरम् तथा श्री टेक चन्द—समिति में सम्मिलित कर दिये जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक सुझाव प्रस्तुत हुआ है। परन्तु मैं पहिले प्रस्ताव को सदन में रखूंगा।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन दो नामों का क्या हुआ ? माननीय मंत्री विचार कर सकते हैं।

श्री सी० डी देशमुख : यह नामावली पर्याप्त मात्रा में विचार कर के संसद कार्य मंत्री के परामर्श से बनाई गई है। जिन माननीय सदस्यों के नामों का उन्हों ने सुझाव दिया वे बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तथा मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि वे यथोचित समय में अपना सहयोग दे सकेंगे। इस प्रकार सुझाये गये नामों को सम्मिलित करना सम्भव नहीं है, विशेषकर जब कि एक का सम्बन्ध दल से है और दूसरे का, मेरा विचार है, विरोधी दल से है।

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र।

उपाध्यक्ष महोदय : असंबंधित दल।

श्री सी० डी० देशमुख: यहां दल-सदस्यों तथा असंबन्धित दलों में एक प्रकार का अनुपात रखा जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र दल से पूछा गया है कि उन के नाम निर्देशन क्या हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ख्याल करता हूं कि इस सदन तथा उस सदन के बीच में भी अनुपात रखा जाता है।

श्री सी० डी० देशमुख : इस सदन और उस सदन में भी। अब कोई परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन नामों को चुनने में क्या प्रक्रिया ग्रहण की गई थी। मैं माननीय संसद् कार्य मंत्री से ठीक उन सिद्धान्तों को जानना चाहता हूं जिन का पालन समिति के लिये इन नामों के चुनने में किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। जहां तक यहां प्रस्तावक का सम्बन्ध है, मैं केवल उन से पूछ सकता हूं। वह मंत्री इस ओर ध्यान देंगे तथा सदन को बतायेंगे।

समिति में माननीय प्रस्तावक के अतिरिक्त ३२ सदस्य हैं। सामान्यतः प्रथा यह है कि प्रवर समिति में सम्मिलित किसी भी सदस्य को कुछ असाधारण मामलों को छोड़ कर, जिन्हें केवल समिति पर ही न छोड़

[उपाध्यक्ष महोदय]

कर सदन में भी विचार विमर्श के लिये रखना अनिवार्य है, चर्चा में भाग लेने के लिए न बुलाया जाये ।

श्री बल्लाथरास (पुदुकोटै) : मेरा एक संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां । वह अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री बल्लाथरास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक पर ३१ जुलाई १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"

जब मैं ने यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री की पूर्वसूचना देखी, तो मैंने इस पर बहुत विचार किया । साधारणतया, यह वह स्थिति है जब कि हमारे सर्वश्रेष्ठ विचार केवल भावी प्रारूपण के पथ प्रदर्शन के लिए प्रकट होते हैं ।

१९४६-४७ में दो विशेषज्ञ वकीलों ने, जिन्हें यह कार्य सौंपा गया था, अपने प्रतिवदन प्रस्तुत किये । तत्पश्चात्, सरकार ने एक ज्ञापन छापा तथा वह मत जानने के लिये राज्य सरकारों, कुछ विशेष उद्योगों तथा हितसंबंधियों को भेजा । परन्तु इसे परिचालन नहीं कहा जा सकता । प्राप्त हुए मतों तथा उन के बारे में सरकार के विचारों के सैंकड़ों मुद्रित पृष्ठ हैं जो अभी तक सरकार को ही ज्ञात हैं । १९४८ में इंगलिस्तान की कोहेन समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध हुआ । १९५० में समवाय विधि समिति नियुक्त हुई । १९५२ में उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उस के बाद १९५३ में यह विधेयक हमारे समक्ष रखा गया ।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

माननीय मंत्री ने कुछ उन मतों का निर्देश किया था जो राज्य सरकारों तथा अन्य स्थानों से प्राप्त हुए थे । परन्तु जनमत संग्रह करने के उपबन्ध में यह बात सन्निहित है कि राष्ट्र से प्राप्त हुए मतों के बारे में संसत्सदस्यों को अवश्य बताया जाये । सारे प्राप्त मत मुद्रित हो कर संसद् के समक्ष रखे जाने चाहियें । उन की एक प्रति सदस्यों के पास होनी चाहिये ताकि वे उन का अध्ययन कर सकें और अपना सर्वोत्तम मत प्रकट कर सकें ।

विस्तृत बातों में जाये बिना, मैं यह कहूंगा कि यह समवाय विधि बड़ा ही प्रविधिक विषय है । माननीय वित्त मंत्री कुछ समय पूर्व यह कह चुके हैं कि समवाय विधि में चि स्वभावतः केवल थोड़े से वकीलों को होगी, तथा विशेषकर उन को जिन्हें समवाय विधि का अनुभव है या उस में प्रवीण हैं । यहां भी हम में से कुछ वकील हैं, परन्तु हम में बहुत से सर्वसाधारण व्यक्ति हैं । ऐसी स्थिति में आप की विधि की उलझनों को हम कैसे समझें ? आप हमारे द्वारा जनता के मत से नियुक्त की गई सरकार हैं । इसलिए आप को विधि ऐसी बनानी चाहिये जो लोकप्रिय, सरल तथा समझने में स्पष्ट हो ।

जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में कोई व्यापक निर्णय लिया जाता है तब हमें यह देखना चाहिये कि जनता की राय क्या है । इसी उद्देश्य से मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है । इस में कालापव्यय की कोई बात नहीं है । यह सुन कर मुझे बहुत खुशी होती है कि यह गरीबों की सरकार है । जब हम किसी योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि मध्यम वर्ग तथा गरीब जनता पर्याप्त पूंजी एकत्रित करने में पूरा हाथ बटायें । आज कल तो इस देश के संयुक्त स्कंध समवाय अधिकतर पूंजीपतियों द्वारा

ही बनाये तथा चलाये जाते हैं। प्रस्तुत विधान द्वारा पूंजीपतियों की पूंजी की व्यवस्था का नियंत्रण किया जा रहा है। अब तक इस व्यवस्था का बहुत दुरुपयोग किया गया है। पूंजीपतियों ने अपनी चारों ओर खंदक खोद लिया है। हम इन खाइयों को मिटाना चाहते हैं। अतः मैं इस विधेयक के उपबन्धों का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इन का समर्थन ही करता हूं।

इस विधान के गम्भीर महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यह विधेयक इंगलिस्तान की विधि की प्रतिलिपि मात्र है। प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली अंग्रेजी ने यहां शुरू की। वे तो इस देश की सम्पत्ति का किसी न किसी तरह शोषण करना चाहते थे। इस देश के सामर्थ्य तथा सुस्थिति का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। १९२९ में कोहन समिति की सिफारिशों के अनुसार इंगलिस्तान के समवाय अधिनियम में व्यापक संशोधन किये गये। इसी से प्रेरणा ले कर हम उन का अनुकरण करने जा रहे हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर कोई स्वतंत्र चीज़ नहीं बना रहे हैं। हम उन के ढांचे की नकल कर रहे हैं; नींव की नहीं।

अब हमारे देश में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का युग आरम्भ हो गया है। हमारी योजना में गैर सरकारी उपक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारा औद्योगिक विकास सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमों की प्रगति पर निर्भर है। हमारी कुल राष्ट्रीय आय का केवल २ प्रतिशत हिस्सा ही गैर-सरकारी उद्योगों में लगाया जाता है। क्या आप इस से सन्तुष्ट हैं? क्या आप नहीं चाहते कि जनता आगे बढ़ कर किसी न किसी उपक्रम में अंशभागी हो? इस से गैर सरकारी उद्योगक्षेत्र में लोकतंत्र का वातावरण पैदा होगा। इस समय इस क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनता। सर्वत्र उन्हीं इने गिने उद्योगपतियों का बोलबाला रहता है। कहा जाता है कि देश में औद्योगिक नेतृत्व की कमी है। किन्तु जब तक आप सामान्य जनता को आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं देंगे तब तक आप अधिक कर्तृत्व की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? जब कभी सारे राष्ट्र के कल्याण पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण तथा व्यापक विधान प्रस्तुत किया जाता है तब हमें उस के बारे में साधारण जनता का अभिप्राय अवश्य जानना चाहिये। केवल राज्य सरकारों, कुछ उद्योगपतियों तथा एकाध दो विशेषज्ञ वकीलों की राय मालूम कर लेना पर्याप्त नहीं है। इसी लिए मेरा निवेदन है कि जनसाधारण की सम्मति जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित किया जाय। आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने जा रहे हैं। वह केवल इधर उधर कुछ मामूली काटछांट करेगी। किन्तु इस विधेयक का जड़ भी स्वदेशी नहीं है और न पेड़ भी। अतः साधारण जनता द्वारा इस पर मूलगामी विचार किया जाना चाहिये।

अब इस विधान के गुणावगुणों के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। इस विधेयक के ३२५ पन्ने हैं। केवल प्रबन्ध अभिकरण के सम्बन्ध में ही इस में ५२ धारायें हैं। इस में कोहेन समिति, अफ़्रीकी जांच समिति, कनाडा अथवा आस्ट्रेलिया के विधान आदि की नकल की गई है। यदि इस का प्रारूपण मेरे हाथ में होता तो मैं इस के उपबन्धों को अधिक सरल तथा सुलभ भाषा में रखता। हमें ऐसी भाषा प्रयोग करनी चाहिये जो सामान्य नागरिकों की समझ में आसानी से आ जाय। यदि इस विधेयक की रचना हमारे अपने अनुभवों के आधार पर स्वतंत्र रूप से की जाती तो वह इतना जटिल तथा प्रदीर्घ नहीं होता। किन्तु इस में इंगलिस्तान, अफ़्रीका, आस्ट्रेलिया, आदि देशों के विधानों की नकल की गई है और इसलिए वह जन साधारण

[श्री वल्लाथरास]

की समझ में नहीं आता। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस की भाषा को अधिक सरल बनाने की कोशिश की जाय।

मेरी राय में तो इस देश की अर्थव्यवस्था में से प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली पूर्णतः हटा देनी चाहिये। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि विधि समिति की सिफारिश है कि यह प्रणाली जारी रखी जाय। किन्तु मैं इस की उपयुक्तता की कल्पना भी नहीं कर सकता।

श्री मी० डी० देशमुख : मैं ने 'विधि समिति' नहीं कहा था। 'समवाय विधान के संशोधन से सम्बद्ध विशेषज्ञ समिति' का मैं ने उल्लेख किया था।

श्री वल्लाथरास : मुझे खेद है। मैं समवाय विधि समिति की ओर निर्देश कर रहा था। जब मैं ने इसे पढ़ा तो अनुभव हुआ कि विधि में मौलिकता नहीं है। जब मैं मामले की ओर से बहस करते हुए न्यायाधीश को यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये तो मैं डाइजेस्ट के पृष्ठ खोल कर कहता हूं : "एक अमरीकन न्यायाधीश ने यह लिखा है, एक अंग्रेज न्यायाधीश ने इस तरह लिखा है इसलिये आप भी ऐसा करिये।" मैं कभी इस तरह बहस नहीं करता हूं। यहां मैं जो कुछ रख रहा हूं वह सामान्य समझ पर आधारित मौलिक निर्वचन है। मैं अपने देश की स्थिति और जनता का मनोविज्ञान समझता हूं। हमारे देश के लोग औद्योगिक विकास, हिसाब और व्यापार में पिछड़े हुए हैं। द्वितीय महायुद्ध में इन के हाथों में बड़े पैमाने पर व्यापार और व्यवसाय रखा गया। अतः जो भी आया उन्हों ने उस को लूटना आरम्भ कर दिया। इस में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। पिछले आठ वर्षों से सरकार और उस के विभागों में चोर बाजारी ने नियमित रूप धारण कर लिया है। नेताओं ने पिछले तीन चार वर्षों में क्या किया है? यह प्रबन्ध अभिकर्ता कौ हैं? वे स्वर्ग के देवदूत नहीं है। वे एक विशेष पद पर आसीन सामान्य व्यक्ति हैं। १९४५ में, युद्ध समाप्त होने के पहले ही सरकार को इन बुराइयों से धक्का लगा। यह निदेशक क्या कर रहे हैं? निदेशकों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा समवाय की लूट में यह भी हिस्सा बटा रहे हैं? ये निदेशक प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्ति हैं। ये स्वतंत्र नहीं हैं। अंशधारियों द्वारा निर्वाचित किये जाने का उन का एक बहाना है। वह कभी समवाय की परवाह नहीं करते हैं। इस तरह अनेक समवाय दिवालिया हो जाते हैं। लेखा परीक्षक भी अभिकर्ताओं के प्रभाव में आ जाते हैं। इतना होते हुए भी निदेशकों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं में झगड़ा रहता है। आप के यह विश्वास करने का क्या आधार है कि निदेशक एक बहुत ही उच्च धरातल वाला व्यक्ति है और प्रबन्ध अभिकर्ता उच्चता और ईमानदारी की भावना से पूरित रहेगा। इन लोगों ने अभी तक जनता को ठगा है और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। आप कितना ही ईमानदार रहें, और उन पर पाबन्दियां लगा दें, फिर भी अच्छे परिणाम नहीं निकल सकेंगे। लोग इस तरह का काम करने के आदी हैं, अतः उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है। जो जिस की प्रकृति हो, वह बराबर बनी रहेगी, आप चाहे उसे बदलने के लिये कितना भी जोर लगा दें। चोर जेल काटने के बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आता। इस प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली के संबंध में मेरी बुरी धारणा है। माननीया सभापति, मैं वित्त मंत्री की दाद देता हूं और उनसे स्नेह भी करता हूं जब वे कहते हैं कि लोगों में एक रचनात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह ठीक है क्योंकि वित्त मंत्री जी लोगों को भी उसी स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस स्तर पर वे स्वयं हैं। इसीलिए उन्हों ने वन्ध्यीकरण

विधेयक का समर्थन भी किया है, किन्तु इस सम्बन्ध में आप किस प्रकार लोगों से सहयोग की आशा करते हैं ? क्या वे प्रबन्धक एजेण्टों और उन के संचालकों की सामयिक परम्पराओं को दण्डित करा सकते हैं ? यदि आप को लोगों का सहयोग प्राप्त हो तो आप चोर को पकड़वा सकते हैं, और उसे दण्डित करा सकते हैं। लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सरकार ने इस की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। इस प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली से युद्धकालीन वर्षों में अधिकार का दुरुपयोग हुआ है, और प्रस्तुत विधेयक इसी बात को भविष्य में भी चलाना चाहता है। मैं उन आलोचकों से सहमत हूं जिन्हों ने बताया है कि निरीक्षक संचालक बोर्ड और उन लोगों के बीच संघर्ष रहने से सदा तनातनी रहेगी, और उस से वकीलों को ही लाभ होगा। अतः सरकार से मेरा यह निवेदन है कि प्रबन्धक अभिकर्ताओं की संस्था को चलाने की बात कतई छोड़ दी जाय। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिये यहां चलाई थी। अब हमारी अपनी पूंजी है, और यदि इस का दुरुपयोग होता है तो वह किसी न किसी रूप में उसी के पास लौट आती है जिसे राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए इस की आवश्यकता हो। उक्त समिति का यही विचार होना चाहिये था, किन्तु जो कुछ भी हुआ है, वह इस के विपरीत है।

सरकार को विधि समिति की सिफारिश में, जो प्रबन्धक अधिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में उसने की थी, इतनी निष्ठा नहीं होनी चाहिए थी। अब उन्हें इस प्रणाली के स्थान पर और कोई उचित प्रणाली ढूंढ निकालनी चाहिए। यदि ऐसी बात होगी, तो विधेयक पर इतनी सारी आलोचना होने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

१९५० के संकल्प के अनुसार कम्पनी विधि समिति बनाई गई, किन्तु देखने से पता चलेगा कि उसमें केवल अंग्रेजी विधि की नकल की गई और, अंग्रेजी विधि की नकल पर ही यहां यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस के साथ ही इस पर जितनी भी सीमायें और पाबंदियां लगाई गई हैं, उनसे यही पता चलेगा कि सुयोजित अर्थनीति और उस से सम्बद्ध नीतियां, और उद्योग के सम्बन्ध में १९४८ में पारित संकल्प पर विचार नहीं किया गया। इस समिति ने कार्यविधि और रचना में सुधार करने के लिए जो कुछ भी किया, वह अंग्रेजी विधि की नकल है। वह नकल भी क्या है—मक्खी पर मक्खी मारी गई है। ६१२ धाराओं में आपको ये ही चीजें देखने को मिलेंगी। यदि १० वर्ष बाद एक और ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाय जो पिछले विधेयकों को समन्वित करे, तो वह इस की सारी लिखित कार्यवाही को दो या तीन गुना बढ़ा देगा। मैं श्री चटर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह काम ३०० धाराओं में पूरा नहीं किया जा सकता था। संक्षिप्तता और स्पष्टता ही विद्या और ज्ञान का श्रेष्ठ रूप है। मैं यही कहने पर विवश हूं कि समिति ने नकल उड़ाई है, और इधर इस विधेयक के प्रणेताओं ने समिति की इसी रिपोर्ट की खूब नकल की है। बहुत कुछ कहा जा सकता है किन्तु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक निर्धन व्यक्ति के दृष्टिकोण से पूंजी लगाई जानी चाहिए, यानी पूंजी का न्यास वास्तव में जनतंत्र के आधार पर होना चाहिये। इतना कह कर मैं अंत तक इस बात की प्रतीक्षा में रहूंगा कि मुझे अपना संशोधन वापिस लेना चाहिए या नहीं। माननीय मंत्री द्वारा कोई संकल्प सदन-पटल पर रखा जाना कुछ महत्व रखता है। बहुमत उनके साथ है, जबकि हमें चारों ओर से डर और संदेह दिखाई दे रहा है। हमें इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत सी आपत्तियां हैं। जिस चीज का जितना परिमाण बढ़ जाता है उसके दोष भी उतने ही अनुपात में बढ़ जाते हैं। यह एक उचित विधेयक नहीं, और न प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं और संचालक

[श्री बल्लाथरास]

को इस तरह नियंत्रण में रखा जा सकता है। वित्त मंत्री ने यहां की सरकार को निर्धन व्यक्ति की सरकार बताया है; हमें यही देखना चाहिए कि यह वास्तव में निर्धन व्यक्ति की सरकार बने। संसार के भिन्न गणतंत्रों को हमने यही कहते सुना है कि जाति-भेद समाप्त होना चाहिए, किन्तु जब वास्तव में जातिभेद का उन्मूलन करने का समय आता तो वे ही देश इसका विरोध करते हैं। यह विधान बनाने का कोई भी तरीका नहीं। यदि यहां वास्तव में निर्धन व्यक्ति की सरकार है तो निर्धनों को पैसा लगाना चाहिए, इन्हीं द्वारा प्रबन्ध होना चाहिये, और पूंजीपति को इन ही की प्रबन्ध-व्यवस्था में घुल-मिल जाना चाहिये। इस समस्या को हल करने के लिए हमें निजी क्षेत्र की ओर भी ध्यान देना चाहिए। स्मरण रहे कि इस देश में निजि क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली है, और भावी कल्याण राज्य की स्थापना में इस क्षेत्र से बहुत सहायता मिल सकती है। यदि राष्ट्रीय ऋण के लिये बैंक से पैसा मिलता है तो वह निर्धन व्यक्ति का पैसा नहीं समझा जाता, किन्तु यदि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों से पैसा मिलता है, तो वास्तव में उस से निर्धन व्यक्ति के सहयोग का पता चलता है। स्पष्ट है कि यह विधेयक जनसाधारण, वकील, मध्यस्त व्यापारी, और निजि क्षेत्र को लोकतंत्र की प्रणाली पर चलाना चाहने वाले व्यक्तिओं का रास्ता रोक लेता है। सरकार को चाहिए कि प्रवर समिति द्वारा इस विधेयक की छान-बीन कराये। यह विधेयक १९५२ में बनाया गया था, और अब योजना बनने के बाद इसमें भी परिवर्त्तन होना चाहिये। इस की भाषा के साथ साथ इसका भाव भी बदलाया जाना चाहिये ताकि निजि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके।

सभापति महोदय : मैं यह संशोधन सदन के समक्ष रखूंगी।

संशोधन प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पर ३१ जुलाई, १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय।"

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : उस पक्ष में बैठने वाले जिस माननीय सदस्य ने अभी जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके सम्बध में कुछेक शब्द बोलना चाहता हूं। इसमें संदेह नहीं कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कई वर्षों से इस के सम्बन्ध में सुन रहे थे; किन्तु इसमें किसी हद तक ब्रिटिश विधि की नकल है, अतः इसे परिचालित कर के और समय नष्ट करने का कोई भी लाभ नहीं है।

चूंकि इससे हमारे देश की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीति का नमूना बन पाएगा, अतः मैं दो सुझाव रखूंगा। पहला, यह है कि प्रवर समिति में हमें सम्बद्ध लोगों से साक्ष्य लेकर जनमत जानना चाहिये। इसमें एक कठिनाई जरूर है कि छोटे अंशधारियों, कच्ची सामग्री मुहैया करने वालों और उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण शायद प्रवर समिति के समक्ष नहीं आ पायेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कच्ची सामग्री के उत्पादकों के प्रतिनिधियों, निम्न मध्य वर्ग या "साधारण अंशधारी वर्ग" के प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिये और उन की राय पर विचार करना चाहिये। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रवर समिति में दो माननीय सदस्यों को न रख कर दोनों सदनों के उन माननीय सदस्यों के पास प्रवर समिति की कार्यवाही भेजी जानी चाहिये जो इस में रुचि रखते हों, ताकि वे स्वयं वहां जा कर अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकें। और उन सदस्यों के पास भी इस समिति की सारी कार्यवाही भेजी जानी चाहिये

जो इसमें रुचि रखते हों, और जिन्होंने इस तरह की इच्छा प्रकट की हो ।

अब रहा विषय के सम्बन्ध में । १९४८ में पारित औद्योगिक संकल्प में, और संविधान के कई उपबन्धों में, और अब योजना में विचार धारा की जो भी बातें आई हैं उन से स्पष्ट है कि हम ने अपने देश के लिये एक विशेष ढंग की अर्थनीति बनाई है जो न तो समाजवादी कही जा सकती है और न निरंकुश पूंजीवादी; स्पष्ट है कि यह बीच की है । यह एक प्रकार की नियंत्रित निजी अर्थनीति है, और इस की प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली से हम पर भारी प्रभाव पड़ने वाला है । इस से हमारे वाणिज्य और उद्योग के भावी क्षेत्र की शकल बदलेगी । अब देखिए कि हमारे उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है । मैं अपने देश के बृहद् व्यापारों को दो भागों में विभक्त करता हूं एक वह भाग है जिसे उन उद्योगपतियों या उद्योग-प्राय मस्तिष्कों की करतूत समझना चाहिये जिन्हें उद्योग प्रिय है, और जो अपने लाभों को अंशधारियों में विभक्त करना चाहते हैं । दूसरा वर्ग प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं का है जिन्हें मैं "सटोरिया" कहूंगा । उनका उद्देश्य धन का अधिक अर्जन है । बाद का यह वर्ग पैंतरेबाजी से लोगों का धन लूट लेता है । इन की चालबाजियों और धोखाधड़ी को रोकने के लिये कानून बनाना बहुत ही कठिन है । सरकार को इन से सतर्क रहना चाहिये, और प्रबन्धक अभिकरण के विरुद्ध कड़ी कारवाई करनी चाहिये । इस तरह के सटोरिये समय समय पर तरह तरह की चालें चलते हैं और लोगों का धन लूट लेते हैं । इन के कारण देश को क्षति उठानी पड़ती है । यदि कोई भी सार्थ या समवाय काम शुरू करे, तो सरकार को भली भांति देख कर और सोच विचार के, इन अभिकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहिये । और यदि कहीं किसी ने कोई चालबाजी की तो उस को दण्ड दिया जाना चाहिये ।

इसके बाद मैं प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के दूसरे पहलुओं की चर्चा करुंगा । कुछ प्रबंध अभिकर्त्ता इस प्रकार सामने आते हैं मानो वे देश के हितचिन्तक हैं । वे कहते हैं: "हमारी ओर देखो, हम निर्माता हैं, हम इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं लेकिन हमारा मुनाफा कितना है ? हमें एक प्रतिशत लाभ भी नहीं होता है, बहुधा बड़ी कठिनाई के बाद हमें सवा प्रतिशत मिलता है ।" लेकिन उनका लाभ भले ही १ प्रतिशत हो अथवा ५ प्रतिशत, या दश प्रतिशत; यह महत्वपूर्ण नहीं है । महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रतिशत का अन्तिम विश्लेषण क्या है । क्या १ प्रतिशत अंत में १० लाख रुपये नहीं हो जाते हैं ।

दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि वेतन अथवा कमीशन के रूप में मिलने वाला उनका पारिश्रमिक कितना है । मेरा विचार है कि यह किसी भी अवस्था में १० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । सामान्य अंशधारी को लाभांश के रूप में जो मिलता है, प्रबन्ध अभिकर्त्ता को उसका दस प्रतिशत से अधिक भाग नहीं मिलना चाहिये । यदि आप इस मापदण्ड से देश की ओर देंखे तो एक भी ऐसा प्रबन्ध अभिकर्त्ता नहीं है जो यह कह सकता है: मैंने अंशधारी को ५ प्रतिशत दिया है जब कि मैंने एक प्रतिशत से भी कम लिया है । मेरा विश्वास है ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है । अतः किसी भी भांति हमें प्रबंध अभिकर्त्ता को मिलने वाले पारिश्रमिक पर नियंत्रण रखना है ।

श्री वल्लाथरास ने इस विषय पर आवश्यकता से अधिक कहा था और मैं समझता हूं कि यदि हम विभन्न उद्योगों की ओर देंखे तो वह सही दीखते हैं । सामान्यतया सम्पूर्ण

[श्री हेडा]

संचालक बोर्ड में प्रबंध अभिकर्त्ताओं का प्रभुत्व है । कई स्थितियों में संचालक स्वतंत्र दृष्टिकोण वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वस्तुतः वह प्रबंध अभिकर्त्ताओं से इस प्रकार सटे हुए हैं कि सारा दृश्य एक दयनीय प्रदर्शन मात्र हो जाता है । यदि कोई व्यक्ति इन इन सामवायों की साधारण सभाओं में उपस्थित हो तो उसे विदित होगा कि एक समवाय है जिसे इस बात का गर्व है कि वह एक करोड़ रुपये की कीमत की वस्तुओं का उत्पादन करता है । आप को इन सभाओं में कोई विवाद दृष्टिगत नहीं होगा । सब कुछ एक योजना के अनुसार होता है । इस तरह काम करने के अनेक तरीके हैं ।

हमारे देश का एक उद्योग--चीनी उद्योग है, इसके नाम की कतई गरिमा नहीं है । एक के बाद दूसरा खाद्य मंत्रालय आता है और चला जाता है लेकिन चीनी की समस्या सफलतापूर्वक नहीं सुलझ सकी है । इसका क्या कारण है? कारण यह नहीं है कि हमें उद्योग का नियंत्रण करना है प्रत्युत हमें उद्योग के वाणिज्यकीय पहलू का भी नियंत्रण करना है । प्रायः प्रबंध अभिकर्त्ता किसी एक नाम पर चीनी बेच देते हैं; अधिकांश स्थितियों में यह नाम नकली होते हैं और चीनी गायब हो जाती है । इसके बाद यह चीनी किसी दूसरे स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकट होती है । इस दरम्यान चीनी के हर थैले में १० रुपये का अन्तर पड़ जाता है । यह दुर्लभ घटना है, ये घटनाएं रोजमर्रा होती हैं । कई बार रजिस्टरों में डिलीवरी बनाई जाती है जबकि वस्तु गोदाम में ही रखी होती है । बहुधा ऐसा भी होता है कि पुस्तकों में यह बताया जाता है कि वस्तु गोदाम में रखी है और वास्तविकता यह है कि वह पहले ही गायब कर दी गई थी, उसकी बिक्री हो कर रुपया अन्यत्र रखा है । अतः विपुल लाभ कमाने वाले इन प्रबंध अभिकर्त्ताओं द्वारा बचने के लिये हमें इस तरह की प्रणाली का विकास करना है कि संचालक बोर्ड का निर्वाचन इस प्रकार हो कि सामान्य अंशधारियों के हितों के संरक्षण के साथसाथ कच्चे माल के उत्पादनकर्त्ता, उपभोक्ता तथा समस्त देश के हित का संरक्षण किया जा सके ।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिन उद्योगों में अंश पूंजी २५ लाख रुपये से अधिक है वहां उन्हें कुछ संचालकों को नामनिर्देशित करने अथवा नियुक्त करने या उन की नियुक्ति के लिये सुझाव देने का अधिकार होना चाहिये । परन्तु इन व्यक्तिओं को उच्च पदाधिकारियों में से नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि उन के पास पहले ही बहुत काम रहता है । इन व्यक्तियों को सभा में जाने पर गर्व अनुभव करना चाहिये, उन्हें ५० रुपये अथवा १०० रुपये दैनिक भत्ते या यात्रा भत्ते के लालच से इन सभाओं में न जाना चाहिये । उन्हें अनुभव करना चाहिये कि वह देश की जनता के हितों के संरक्षक हैं । यदि इस तरह की व्यवस्था कर दी जाये तो हम प्रबंध अभिकर्त्ताओं पर कुछ नियंत्रण रख सकते हैं ।

कई बार ऐसा होता है कि प्रायः अंशधारी उद्योग के संचालन अथवा वाणिज्यकीय समवाय के सम्बंध में कुछ जानकारी चाहता है । उसे जो जानकारी प्राप्त होती है, वह सरकारी दफ्तरों की भांति अस्पष्ट होती है । यदि कोई अंशधारी जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक है तो फायलों तक उसकी पहुंच होनी चाहिये । उसे लेखा पुस्त और अन्य सामग्री देखने की स्थिति में होना चाहिये । कोई व्यक्ति कहेंगे कि इस तरह तो समवाय का संचालन असम्भव हो जायेगा । ऐसा नहीं होगा । किस के पास बर्बाद करने के लिये

समय है केवल वही आदमी जायेंगे जिन के वृहद् हितों की बाजी लगी हुई है । श्री वल्लाथरास के शब्दों में जब किसी व्यक्ति को लूटा अथवा ठगा जा रहा है तभी वह वहां जाने के लिये समय खर्च करेगा । अतः इस प्रकार का उपबंध होना चाहिये कि एक सामान्य सदस्य भी फायलों तक पहुंच सके। यदि समूचे वर्ष भर यह सम्भव न हो तो सामान्य सभा के पहले तीन महीने की अवधि में इसे सम्भव होना चाहिये ।

श्री वल्लाथरास ने प्रबंध अभिकर्त्ताओं को हटा देने का निर्देश किया है । मुझे मालूम है, और भी बहुत से व्यक्ति यही सोचते हैं । जिस क्षेत्र में हमें नवीन उद्योग का स्थापन, संवर्द्धन, निर्माण करना है वहां ऐसा सरलता से नहीं किया जा सकता । जिन उद्योगों के सम्बन्ध में हम यह मान सकते हैं कि उनकी स्थापना हो चुकी है वहां हम बिना प्रबंध अभिकर्त्ताओं के काम चला सकते हैं । उदाहरणार्थ बैंक, बीमा समवाय, सूती वस्त्र, सीमेंट और पटसन अथवा लोहे के उद्योग—यद्यपि इन से सम्बंधित प्रत्येक समवाय नहीं—जिन्होंने पर्याप्त प्रगति कर ली है तथा जिनकी देश पूंजी ५० लाख रुपये से अधिक है, उन में सरकार प्रबंध अभिकरण प्रणाली हटाने का प्रयत्न कर सकती है । इस तरह सरकार एक नवीन और स्वस्थ मार्ग प्रशस्त कर सकती है ।

इस सम्बंध में हमारा प्रमुख तथ्य यह है कि सामान्य अंशधारी के हित की रक्षा की जाकर स्वस्थ ढंग पर आधारित प्रबंध अभिकर्त्ता वर्ग को सम्मानित किया जा सके । सटटेबाज कहलाने वाले प्रबंध कर्त्ताओं की समाप्ति पर जनता को कोई सन्ताप नहीं होग ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से देखो पर वह विधेयक के अधीन नहीं आती है । जब सरकार किसी समवाय खोलने के सम्बंध में अनुमति देती है तो यह देखन सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये कि इस समवाय के आरम्भ करने की आवश्यकता भी है अथवा नहीं । दुर्भा य से हमारे देश में यदि किसी ने नवीन समवाय की स्थापना कर अच्छा लाभ कमाना आरम्भ कर दिया है तो बहुत से व्यक्ति उस क्षेत्र में आकर उसकी नकल करना आरम्भ कर देते हैं । यही कारण है कि हमारे यहां आवश्यकता से अधिक तेल की मिलें हैं । इस तरह पूंजी अवरुद्ध हो गई है । इस में कोई सन्देह नहीं कि मल रूप में उन्हीं व्यक्तिओं की त्रुटि है जिन्होंने पूंजी विनियोग किया ह लेकिन किसी सीमा तक सरकार भी इसके लिये उत्तरदायी है । इस तरह न केवल अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का सूत्रपात हो जायेगा अपितु अ .कांश मिलें पूरे साल भर बन्द रहती हैं । इस तरह का विकास नहीं होना चाहिये और मेरा विश्वास है कि सरकार इस तथ्य पर विचार करे ी ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के निर्देशन सम्बंधी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं सामान्यतया प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं समवाय की रचना, प्रबंध आदि की चर्चा करूंगा और मैं विश्वास प्रकट करता हूं कि जब प्रवर समिति विधेयक के उपबंधों की विस्तारपूर्वक जांच करेगी तो मेरे द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

सर्वप्रथम, मैं वित्तमंत्री को यह बता देना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे यहां उद्योग एवं वाणिज्य आदि के विकास की तीव्र आवश्यकता है, पूंजी के अभाव में हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं । यदि माननीय मंत्री प्रस्तुत विधेयक और इसके समनवर्ती आवश्यक संशोधनों द्वारा समवायों की रचना

[श्री बर्मन]

और प्रबंध को पवित्र कर दें तो पूंजीपतियों की ओर से आशा से अधिक पूंजी मिल सकेगी ।

सरकार द्वारा प्रयत्न करने पर देहाती क्षेत्रों में कुछ पूंजी का निर्माण हुआ है । ये ग्रामीण जो भी बचातें हैं उसे पूंजीपतियों के सुपुर्द कर देते हैं। बिना किसी ब्याज और लिखा-पढ़ी के पूंजी उनके हाथों में रख दी जाती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें व्यवसायोचित ईमानदारी है । ये लोग कभी इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्हें पूंजी नहीं दी गई है लेकिन वह पूंजी का थोड़ा-थोड़ा भाग लौटाते हैं और इसी बीच उस पूंजी से अत्यधिक कमाई करते हैं। यदि सरकार इन समवायों का इस ढंग से सुधार करे जो जनता को यह अनुभूति दिला सके कि समवाय की रचना के रूप में उनकी रकम की अदायगी सुनिश्चित है तथा सरकार इसके लिये उत्तरदायी है तो मैं वित्तमंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें बहुत अधिक पूंजी मिल सकेगी । १९४८ के औद्योगिक संकल्प के आधार पर हमने यह मान लिया था कि मूल उद्योगों की रचना एवं संचालन का उत्तरदायित्व स्वयं सरकार पर है । लेकिन सरकार का वित्त सीमित होने से औद्योगिक विकास को सब दिशाओं में राजकीय उद्योग नहीं बनाया जा सका । सरकार के पास इन सब को करने के संसाधन भी नहीं हैं । प्रबंध अभिकर्त्ताओं के प्रति सशंकित होने से लोग उनमें पूंजी विनियोग करने के लिये तैयार नहीं है । समवाय की स्थापना और उसके सफलतापूर्वक संचालन के लिये वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है । समिति के प्रतिवेदन को मैंने विहंगम दृष्टि से जितना देखा है उन्होंने देश की समस्त समवायों की जांच, निरीक्षण और पूरी निगरानी के लिये एक संविहित आयोग का सुझाव दिया है । यह अच्छा सुझाव है । वित्त मंत्री ने उद्देश्य और कारणों के विवरण पत्र में कहा है कि वह भविष्य में इस प्रकार के आयोग की रचना के सम्बंध में विचार कर रहे हैं । वर्त्तमान में आर्थिक मामले सम्बंधी विभाग के अधीन एक विकाय इस कार्य को कर रहा है । संविहित निकाय अथवा सरकारी प्राधिकार से यह त्रुटि दूर हो जायेगी ।

अभी तक यह प्रणाली त्रुटियुक्त रही है । प्रत्यक राज्य सरकार के पास समवाय के पंजीयन के लिये एक पंजीयक होता है । इतना हो जाने के बाद प्रबंध अभिकर्त्ता अथवा संचालक अपनी मनमानी करने के लिये स्वतंत्र हैं । रजिस्ट्रार अथवा कोई अन्य प्राधिकारी उनके कार्यों की ओर नहीं देखता है । अब सरकार ने अपने ऊपर यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का भार ले लिया है । पंजीयन के बाद समवाय सरकार के लिये एक न्यास का रूप धारण कर लेता है ।

प्रबंध अभिकर्त्ता दूर स्थानों में बसने वाले अंशधारियों से उनके मतों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं संचालक बोर्ड के निर्वाचन के अधिकारी बन जाते हैं । व्यक्ति प्रबंध अभिकर्त्ताओं के हाथों में कठ-पुतली मात्र बन जाते हैं । अंशधारियों का विश्वास है कि उनका अपना स्वतंत्र संचालक बोर्ड है जबकि संचालक-बोर्ड अभिकर्त्ताओं के हाथों में खिलौना भर है । विधान द्वारा इस बुराई को दूर करने की आवश्यकता है ।

श्री हेडा ने सुझाव रखा था कि एक या दो संचालक सरकार द्वारा नामनिर्देशित होने चाहिये । लेकिन मेरा विचार है कि यह एक कठिन कार्य है । यदि यह प्रस्ताव व्यवहार्य है तो मैं इसका समर्थन करता हूं । अतः हमें मतदान की पद्धति में कुछ ऐसा परिवर्त्तन करना चाहिये कि बहुमत को नियंत्रित करने वाला दल ही संचालक बोर्ड का निर्वाचन न करे

लेकिन दूसरे दल को भी कुछ संचालकों के निर्वाचन का अवसर मिल सके । यह मेरा एक विनम्र सुझाव है ।

मेरा विश्वास है कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर विधेयक में ऐसे परिवर्त्तन हो सकेंगे कि जनता को समवायों में पर्याप्त आस्था हो और वह अपनी बचत का विनियोग करें ।

विधेयक की सम्पूर्ण सफलता की मेरी अभिलाषा है और मुझे विश्वास है कि देश के आर्थिक ढांचे की एक प्रमुख कमी दूर हो जायेगी ।

१ म० प०

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य): मैं, जो विधेयक उपस्थित किया गया है उसका स्वागत करता हूं । इस संशोधन के द्वारा बहुत से डिफेक्ट दूर होंगे । लेकिन साथ ही साथ हमारे भाइयों ने आक्षेप किया है कि इंग्लिशमैन ने लूट के वास्ते कम्पनी ला को हिन्दुस्तान में लागू किया था । इससे हम सहमत नहीं हैं । अगर कम्पनी ला को हमने कापी किया है तो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम को भी हमने अंग-रेजों से कापी किया है । यह कलियुग है, यह अर्थयुग का समय है, सतयुग का समय नहीं है, द्वापर का समय नहीं है, उसी प्रकार से कौटिल्य या वृहस्पति का काल भी समाप्त हो चुका है । यह काल है ऐडम स्मिथ का, मार्शल का और मार्क्स का । इसलिये समय के अनुसार हमको चलना चाहिये, और अगर समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो सम्भव है कि हम बहुत पीछे रह जायें ।

साथ ही साथ हमारे भाई ने यह आक्षेप किया है कि कम्पनी ला के द्वारा प्राइवेट प्रापर्टी या प्राइवेट व्यापार को हानि पहुंचती है । मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्गहीन समाज का जो हमारा उद्देश्य है उससे प्राइवेट प्रापर्टी का नाश तो आप से आप हो रहा है । यू० पी० में जमींदारी सिस्टम का ऐबालिशन करने से हम लोग जो कि कभी के जमींदार थे आज पापर हो गये हैं । इस प्रकार से वह समय आने वाला है जबकि जितने प्राइवेट व्यापार हैं सबका स्थान राष्ट्रीय व्यापार ग्रहण कर लेगा । इस वास्ते हमें कोई विशेष चिन्ता नहीं होनी चाहिये ।

एक और बात है, हमारे भाई ने कहा कि इसको पब्लिक ओपीनियन के वास्ते भेज देना चाहिये । हमारे कम्पनी ला का जन्म सन् १८६६ में हुआ और उसका संशोधन संस्कार चार बार हो चुका है और सन् १९३६ में इसका वृहद् रूप से संशोधन हुआ था । आज १९५४ का जमाना है । यह ठीक है कि कम्पनी ला हमारे देश में बहुत ज्यादा सक्सेस-फुल नहीं हो सका । लेकिन इसका कारण यह है कि "कापी इज ओनली ए कापी।" अभी हमने जैसे पार्लियामेन्ट्री सिस्टम को वेस्ट से कापी किया है, उसका प्रयोग हो रहा है, उसी प्रकार से कम्पनी सिस्टम का प्रयोग हिन्दुस्तान में हो रहा है और यही कारण है कि बहुत सी कम्पनियां फ्लोट की जाती हैं, लेकिन आगे चल कर फेल हो जाती हैं । एक कम्पनी के डाइरेक्टर हम भी हैं और रोज हम यह महसूस करते हैं कि असल में कम्पनी ला में डिफेक्ट नहीं है, इस सिस्टम में डिफेक्ट नहीं है, अगर डिफेक्ट है तो आदमी में है । हमें इसके लिये आदमी तैयार करने हैं, और ईमानदार आदमी तैयार करने हैं । अगर ईमानदार मैनेजिंग एजेण्ट हों, ईमानदार चेयरमैन हो, और ला में कोई अच्छाई न भी हो, तो अच्छाई स्वयम् उसमें उत्पन्न हो जाती है । मैं आपको उदाहरण दूं, एक इंश्योरेंस कम्पनी है, मैं उसका ६, ७ वर्ष से डाइरेक्टर हूं । मैनेजिंग एजेन्सी का सिस्टम उठा दिया गया है, मैने-जिंग डाइरेक्टरों का सिस्टम उसमें चाल

[श्री रघुनाथ सिंह]

किया गया। लोग जेल जाने वाले थे तो कुछ ने डाइरेक्टर को अधिकार दे दिया कि जो इंश्योरेंस मनी है उसको किसी अच्छी जगह इंवैस्ट किया जाय, क्यों कि वह समय एसा था । हुआ क्या कि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर साहब थे और चेयरमैन साहब थे, उन्होंने हमारी कम्पनी के रुपये का बहुत सा हिस्सा इधर उधर अंड बंड जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। जब हम लोग जेल से लौट कर आये तो देखा कि जितनी कम्पनियां उन्होंने फ्लोट की थीं सबमें उनके आदमी थे और जो रुपया इंवेस्ट हुआ था सब बेकार हो गया और कम्पनियां फेल हो गईं। तो दोष कानून का नहीं है, दोष आदमी का है। अगर आदमी ईमानदार हो तो कानून को वह ठीक ढंग से ले चल सकता है।

अब रह गई बात शेयर होल्डर्स की। हमारे हेडा साहब ने अभी कहा है कि आज कल शेयर होल्डर बेचारा क्या करे, १०० रुपये का शेयर खरीदे, २० रुपये का शेयर खरीदे या १० रु० का शयर खरीदे। पब्लिक से आप शेयर काल करते हैं, हम इस आशा से शअर खरीदते हैं कि हम को कुछ फायदा होगा, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि पलोट करने वाले ज्यादातर शेअर वह खरीदते हैं, और इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि कम्पनी से ज्यादा से ज्यादा फायदा उनको हो, और शेअर होल्डर्स जो बेचारे १०० रुपये का शेअर खरीदते हैं उनसे कहिये कि डाइरेक्टर के खिलाफ या चेअरमैन के खिलाफ, मैनेजिंग एजेंट के खिलाफ दावा दायर करे तो यह असम्भव है। इस वास्ते मैं कहता हूं कि इस विधेयक में इसका अवश्य ध्यान रक्खा जाय कि शअरहोल्डर्स का भी उपकार हो, क्योंकि हमारे यहां की ज्यादातर पब्लिक खास कर उत्तर देश की बात करता हूं उसमें पढ़े लिखे आदमी तादाद में बहुत कम हैं, ल १० या १२ परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को हम रुपया उधार नहीं दे सकते, इस वास्ते कि डट ऐक्ट हमारे यहां है, उसके अनुसार बहुत वर्षों में हमारा रुपया वसूल होगा, इसलिये हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया जितनी कम्पनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करें। जो भी कम्पनी फ्लोट होती है उन में हम रुपया इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसमें कुछ लाभ हो। इसीलिये मैं कहता हूं कि जो शेअर होल्डर्स हैं उनका भी उपकार हमारा लक्ष्य होना चाहिये और इसको सदा ध्यान में रखना चाहिये।

अन्तिम बात मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स का सम्बन्ध है, हमारे यहां बनारस बैंक था .....

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को स्मरण करा दूं कि इस समय हम विधेयक के केवल सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं भी वही कह रहा हूं।

जहां तक लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स का सवाल है, बहुत सी कम्पनियां हैं जो वाउण्ड अप होती हैं, लेकिन लिक्विडेट होने के बाद वह कम्पनियां किसी शेअर होल्डर्स को १० रु० में ८ आ० भी देती हैं या नहीं, इसमें सन्देह है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पुल दूं। हमारा बनारस बैंक था, वह फेल हुआ। लेकिन उसकी लिक्वेडेशन प्रोसीडिंग्स अब तक चलती रही हम आठ आना तक नहीं प्राप्त कर सके। होता क्या है कि लिक्वेडेशन आजकल बहुत जोरों पर चल गया है। अगर तीन या चार डाइरेक्टर किसी कम्पनी में हैं, और दो डाइरेक्टरों ने देखा कि उनको ज्यादा

आमदनी नहीं है, तो उन्होंने हाईकोर्ट में या सिविल जज के यहां ऐप्लिकेशन दे दी लिक्वीडेशन के लिये। इसी तरह दूसरी पार्टी ने लिक्विडेशन के इंजैक्शन के लिये ऐप्लीकेशन दे दी। फल यह होता है कि पूरी कम्पनी लिटिगेशन में इन्वाल्व हो जाती है और उस कम्पनी का काम बिल्कुल रुक जाता है। हमारा यह भी निवेदन है कि जहां तक लिक्वीडेशन प्रोसीडिंग्स का सम्बन्ध है उसको सिम्पलीफाई किया जाय उसको सरल बनाया जाय ताकि तीन, चार वर्ष के अन्दर वह कम्पनी लिक्वीडेट हो जाय और जो कुछ आमदनी है वह प्राप्त हो जाय। इन थोड़े से शब्दों के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व) : सभानेत्री जी, मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि मैं वकील नहीं हूं। क़ानून की समझ मुझे बहुत ही कम है, इस वास्ते यदि मैं कोई ग़लती कर बैठूं तो आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे।

जब मैं अपने कालिज में पढ़ा करता था तो वहां पर मैंने इन कम्पनियों और स्टाक एक्सचेंज के सिलसिले में जो एक बहुत सुन्दर किताब है जिसमें लिखा था कि कम्पनियां कैसे फ्लीट की जाती हैं, पढ़ा और यह भी सुना कि जैसे कोई दांत का मंजन का नुस्खा है और सोचा कि उसको चलाना है किस तरह से भी हो, चाहे वह जनता का फ़ायदा करे या न करे तो उन्होंने उसके लिये चार डाक्टरों की राय ली और एक प्रास्पेक्टस निकाला और अखबारों में विज्ञापन निकाला और लोगों ने मशहूर कर दिया कि यह बहुत कारामद चीज़ है और चूंकि इस मुल्क में तीस करोड़ आदमी बसते हैं और उनमें से सिर्फ एक फी सदी आदमी अगर इसे इस्तेमाल करें तो कम से कम शायद तीस लाख आदमी इस मंजन को इस्तैमाल करेंगे और आप हिसाब लगा कर देख सकते हैं कि अगर तीस लाख मंजन की पुड़ियों में हर पुड़िया के पीछे एक पैसे का भी फ़ायदा हुआ तो उस शख्स को कितना फ़ायदा पहुंचेगा। यह जो एक सुन्दर ख़ाका खींच दिया जाता है उसके बाद आदमी समझता है कि हमने शेयर लिया तो हमारी सब तकलीफ़ें दूर हो जायेंगी और घर बैठे मुझ को सौ, दो सौ रुपये महीना मिलेगा, यह तरीक़ा कम्पनियों के चलाने का होता है। उसी किताब में यह भी लिखा था कि जो प्रमोटर होता है उसका यत्न होता है कि किसी तरीक़े से इस कम्पनी पर पूरा अधिकार हासिल कर ले। शेयर होल्डर्स पर जो दो, चार सौ रुपया बटा होता है, उस पर अधिकार कैसे प्राप्त हो, उसके लिये पहले पहल कम्पनी को लौस में चलाना होता है ताकि उसके शेयर्स नीचे चले जायं और उसके बाद उस के आधे चौथाई दाम पर शेयर्स ख़रीद कर खुद मालिक बन बैठते हैं, यह तरीक़ा वह अमल में लाते हैं। जो घाटा हुआ वह तो पब्लिक को हुआ और जो मुनाफा हुआ वह उनका हुआ यह तरीक़ा अख्तियार किया जाता है; यह सब चीज़ें मैंने पुस्तकों में पढ़ी हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता और मैं कोई कानूनदां भी नहीं हूं, लेकिन हमारी समझ में यह तजुर्बा बहुत दिनों का है। किताबों में भी ऐसा कहा जाता है और आंखों से भी ऐसा होते देखा है। हमने बहुत सी कम्पनियों को चलते देखा है और बहुत सी कम्पनियों को दूसरों को खरीदते देखा है और फिर दूसरे लोगों से उनको पैसा बनाते भी देखा है लेकिन बीच में किसने धोखा खाया किस का पैसा लूटा गया, वह तो वही छोटे आदमी सफर करते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िन्दगी भर की कमाई १००, २०० या ४०० रुपये अपना पेट काट कर किसी तरह बचाते हैं और उस कम्पनी में लगा देते हैं यह सोच कर कि वह देश का भी

[श्री टी० एन० सिंह]

काम कर रहे ह, लोहे की कमी है या फलानी चीज़ की कमी है और वह यह कम्पनी बनायेगी तो उनके इस कम्पनी म रुपया लगाने से देश का फ़ायदा होगा और हमारी भी जीविका चलेगी, और हमें घर बैठे कुछ न कुछ हर महीने मिल जाया करेगा लेकिन उन बेचारों का रुपया ऐसी कम्पनियों में डूब जाता है और मारा जाता है। मैं इस नज़र से इस कम्पनी ला को देख रहा था कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिये इस कम्पनी ला में क्या प्राविज़न है और हमारी साधारण जनता को क्या रक्षा इससे मिल रही है, इस दृष्टि से मैं ने इस के सेक्शन को जो बड़े रूखे सूखे हैं उन को देखने की कोशिश की और मैं आप को बतलाऊं कि मुझे उस में कुछ निराशा सी हुई। निराशा इस वास्ते हुई कि इस में क़रीब क़रीब वैसा ही सिलसिला है, दो, चार उन्नतियां इस में की गयी ह, दो, चार मामूली बातों में कुछ हम लोग आगे बढ़े हैं। अब देखना यह है कि हम जो कुछ आगे बढ़े हैं वह इन मामूली तबदीलियों के कारण बढ़े हैं या और किसी कारण से ऐसा हुआ है। अब समय काफी बदल गया है, पुराने ज़माने में जिस पैमाने से कम्पनियां चलाई जाती थीं उस में और अब में काफी फर्क हो गया है, उस के तौर तरीके में थोड़ा फ़र्क हो गया है और मैं यह मानता हूं कि समय को देखते हुए उस के अनुकूल थोड़ा बहुत परिवर्तन इस में ज़रूर किया गया है और उस परिवर्तित अवस्था के सामने क्या करना चाहिये, उस के करने की कोशिश की गई है, लेकिन उस के बाद ज़रा और आगे बढ़िये, आजकल सुनता हूं कि कम्पनियां कोई पांच करोड़ से, कोई दस करोड़ से और कोई एक करोड़ या पचास लाख से इस किस्म की बड़ी बड़ी कम्पनियां खुल रही हैं और कहा जाता है कि हमारे बड़े बड़े जो औद्योगिक व्यक्ति हैं जैसे बिड़ला और डालमिया आदि, उन लोगों न बड़ा यत्न कर के बड़े सिखे सिखाये एक्सपर्ट्स बाहर से बुला कर इस काम को शुरू किया, मैं जानना चाहता हूं कि उन में से जितने उद्योग बने हैं, क्या यह बात सच नहीं है कि कम्पनी के बनने के बाद जल्दी से जल्दी कम्पनी के जो रिस्क होते हैं, उस रिस्क को वह सब पर बांटने की कोशिश करते हैं या नहीं? कौन सा उद्योगपति ऐसा है यहां पर जो अपने रिस्क को अपने ही ऊपर रखता है। आज चन्द रुपये लगा कर उस के पास दस कम्पनियां हो जाती हैं, बैंक में उस का क्रेडिट है, उस ने ४०, ५० लाख के शेयर्स कम्पनी ऐक्ट के लफ़्ज़ों में अंडरराइट कर दिये, उस के बाद क्या यह बात सच नहीं है और मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जल्दी से जल्दी उस रिस्क को मामूली साधारण जनता पर बांटने की कोशिश करते हैं या नहीं। किसी भी कम्पनी का इतिहास देख लीजिये, जितनी भी बड़ी बड़ी कम्पनियां चली हैं, ऐयरवेज़ से लेकर मोटर कम्पनी तक, उन सब के शेयर्स को किस तरीक़े से बाद में जनता में बांटने की कोशिश की गयी है। यह सच है, उस में गवर्नमेंट को भी इनकरेजमेंट होता है कि हमारे मिनिस्टर्स जाकर उन की ओपनिंग सेरीमनीज़ में शामिल होते हैं और स से जनता को विश्वास होता है और हम भी सोचते हैं कि यह एक बड़ा भारी काम मुल्क में होने जा रहा है और इस में सब को अपना योग देना चाहिये, पैसा भी हम को इस से मिलेगा और साथ ही देश का भी कल्याण होगा। तो जो रिस्क उस में आ जाता है, उस के लिये क्या यह बात सच नहीं है कि इन में से ९० फी सदी कम्पनियों के शेयर्स की क़ीमत जो होती है वह दस दिन के बाद घटने लगती है और फिर उन शेयर्स का क्या होता है और वह किस के हाथ में चले जाते हैं, इस की

एक हिस्टरी है और हमें उस का एक नक़शा बनाना चाहिये और आप देखेंगे कि उन बड़े बड़े चन्द लोगों के पास वह शेयर्स आ जाते हैं। अगर शेयर्स का इतिहास बनाया जाय तो हम देखेंगे कि बड़े लोग नुक़सान दूसरों में बांट देते हैं, यह चीज़ हमारे देश में हमारी आंखों के सामने चल रही है और मैं पूछता हूं कि क्या हमारा आप का सब का फ़र्ज़ यह नहीं है कि हम इस चीज़ को रोकें ? मेरी समझ में इस बारे में कोई दो राय नहीं होगी कि इस को न रोका जाय। जब कोई शख़्स रोज़गार करने जाता है तो रिस्क के लिये भी ज़िम्मेदार होता है और इस विश्वास और हिम्मत के साथ वह अपने रुपये को व्यापार में लगा सकता है और उस से जुआ खेल सकता है और अगर उस व्यापार में उस के साथ कोई और दूसरा हिस्सेदार आवे तो इस में कोई हर्ज़ और एतराज़ नहीं लेकिन वह अपने रुपये को जुए से दूसरे ही दिन निकालने की कोशिश करता है।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् सभा, वृहस्पतिवार, २९ अप्रैल १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—128 PSD—3-11-54—285